उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

रिट याचिका (एस/एस) सं0 1348 / 2020

माधो सिंह नेगी..... याचिकाकर्ता

बनाम

निबंधक , सहकारी समितियाँ और अन्य प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं0 1453 / 2020

गिरीश चन्द्र जोशी (मृतक के)..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं**0** 1454 /2020

सरदार सिंह गुसांई..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं0 1460 / 2020

दमयंती हसन..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका (एस/एस) सं01854 / 2020

घनश्याम सिंह..... याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य...प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका (एस/एस) सं0 1902 / 2020

चंडी प्रसाद रतूड़ी..... याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका (एस/एस) सं0 369 /2021

अजीत सिंह..... याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका (एस/एस) सं0 374 /2021

ओम प्रकाश..... याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं0 389 /2021

गणेश प्रसाद..... याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं0 434 /2021

श्रीनिवास कश्यप..... याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं0 485 /2021

आशुतोश श्रीवास्तव**.....** याचिकाकर्ता

बनाम

U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

के साथ

रिट याचिका **(**एस/एस**)** सं0 1828 /2020

नरेंद्र सिंह नेगी..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य... प्रतिवादी

मौजूद-

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री हरेंद्र बेलवाल, अधिवक्ता।
उत्तराखंड सहकारी संघ के अधिवक्ता श्री सुभाष उपाध्याय।
श्री आशीष जोशी, अधिवक्ता, U.P. सहकारी संघ के लिए।

आरक्षण की तिथि:**02.12.2021**

निर्णय की तिथि:**28.01.2022**

निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

व्यापक रूप से, यह मुद्दा, जो रिट याचिकाओं के इन समूह में विचाराधीन है, संबंधित याचिकाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों (कुछ रिट याचिकाओं में), जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, के दायित्व के निर्धारण के मुद्दे से संबंधित है, जो ग्रेच्युटी की राशि, छुट्टी नकदीकरण, एसीपी के लाभ, वेतन के अवशिष्ट और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण के उद्देश्यों के लिए है, और किस तरह से, इसे विभाजित किया जाना है, निपटाया जाना है और दोनों राज्यों के संबंधित सहकारी संघों द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना है, यानी। उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और U.P. कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और किस विशिष्ट निर्धारित मानदंड का पालन किया जाना है।

2. समग्र विश्लेषण पर, विचार के लिए मूल विवाद यह होगा कि U.P. के अविभाजित राज्य में, रिट याचिकाओं के मौजूदा समूह के सभी याचिकाकर्ताओं को शुरू में नियुक्त किया गया था और वे U.P. के साथ काम कर रहे थे। स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो बाद में, समझौते के कारण, U.P. राज्य के दो सहकारी संघों के बीच समझौता ज्ञापन के आधार पर हुआ और उत्तराखंड, U.P. के साथ काम करने वाले कर्मचारी। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, बाद में, उनके विकल्प पर, या अन्यथा भी, उनकी सेवाओं को स्वीकृत रूप से किया गया और उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया।

3. इसके परिणामस्वरूप, जब ये विशेष याचिकाकर्ता, उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के साथ अपनी सेवा के विलय के बाद, अपनी–अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे, तब यह विवाद उत्पन्न हुआ कि किस तरीके से, विभिन्न शीर्षों के तहत कानूनी रूप से देय सेवानिवृत्ति लाभ, जैसा कि ऊपर विस्तृत किया गया है, राज्य के दो सहकारी संघों पर एक दायित्व के रूप में लगाए जाने के लिए विभाजित किए जाएंगे। U.P. और उत्तराखंड, इस कारण से कि अधिकांश मामलों में, याचिकाकर्ता, जिनकी सेवाओं का बाद में विलय कर दिया गया है, उन्होंने अपनी सेवाओं का आंशिक रूप से बल्कि प्रमुख हिस्सा U.P. के साथ कार्य किया है। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, और उसके बाद, सेवाओं के एक निश्चित सीमित और निर्दिष्ट कार्यकाल के लिए, अपनी सेवाओं के विलय के

परिणामस्वरूप, उन्होंने उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के साथ काम किया है और बाद में, उन्होंने उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन से अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है।

4. इस मुद्दे से अलग.अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए था और विशेष रूप सेए सबसे प्रमुख प्रावधानों में से एक जिसका इस मुद्दे पर असर पड़ेगा वह यह है कि U.P. के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं के विलय का परिणामी प्रभाव क्या होगा। सहकारी संघ जब उनकी सेवाओं का उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ विलय कर दिया गया है और इसका परिणामी प्रभाव U.P. **पुनर्गठन अधिनियम** की धारा 54 से विलय किये गये कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर क्या प्रभाव होगा, जिनकी सेवाओं को इस प्रकार उत्तराखंड सहकारी संघ में विलय कर दिया गया है क्योंकि व्यापक सिद्धांतों के अनुसार जो धारा 54 के तहत निर्धारित किए गए थे। U.P. पुनर्गठन अधिनियम, वास्तव में, इसने बल्कि यह माना था कि U.P. से कर्मचारियों की सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के साथ सहकारी संघ लिमिटेड और उस मामले के लिए भी राज्य या अन्य सहयोग के किसी अन्य कर्मचारी के संबंध में, यह निर्धारित किया गया था कि उनकी सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप, राज्य के विभाजन या एक नए सहयोग के निर्माण के परिणामस्वरूप या , जैसा कि यह मामला है, जब कर्मचारियों की सेवाओं का इस प्रकार विलय हो जाता है, तो यह किसी भी तरह से उनके सेवा लाभों के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है, जो वे अन्यथा प्राप्त करने के हकदार होते, अगर राज्य को पुनर्गठन अधिनियम, W.E.F 9 नवम्बर 2000 के प्रावधानों के अनुसार विभाजित नहीं किया गया होता। संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 के तहत उपयोग की जाने वाली भाषा, जिसे यहां निकाला गया है:-

> 54. पेंशन के संबंध में वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का दायित्व इस अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल

के उत्तराधिकारी राज्यों को दिया जाएगा या उनके बीच विभाजित किया जाएगा।

5- वास्तव में, इसकी मूल भावना और उद्देश्य यह था कि U.P. के परिवर्तन के साथ किए गए राजनीतिक या संवैधानिक संशोधन के कारण 2000 का पुनर्गठन अधिनियम, वास्तव में, वे कर्मचारी जो इस प्रकार दो नव निर्मित राज्यों, यानी i.e. के अपने-अपने क्षेत्रीय स्तर में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य और U.P. राज्य, उनके ब्याज और परिणामी सेवा लाभ अभी भी उन्हें देय किए जाते रहेंगे और इसे बिना किसी नुकसान के संरक्षित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए विवाद उत्पन्न हुआ कि उन कर्मचारियों के संबंध में सेवाओं की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनकी सेवाएं बाद में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप विलय हो गईं और उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के साथ संबंधित सेवाओं के उनके विलय का प्रभाव उनके सेवा लाभों के लिए था। यह मामला 2018 की रिट याचिका 448 (एस/बी), चंद्र मोहन अरोड़ा बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष चला और उक्त विवाद को खण्ड पीठ के **29.11.2019** के फैसले द्वारा इस अवलोकन द्वारा समाप्त कर दिया गया**,** जो था -

उक्त निर्णय के पैरा 9,10 और 11 में किया गया है, जिसे नीचे लिखा गया हैः

"9. यद्यपि यह सत्य है कि याचिकाकर्ता का उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का कर्मचारी होना 01.01.2005 से समाप्त हो गया है, और 01.01.2005 से अपने सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने का दायित्व उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ का है, न कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का, याचिकाकर्ता अपने सेवानिवृत्त लाभों की गणना अंतिम बार उसके द्वारा लिए गए वेतन यानी i.e. के आधार पर करने का हकदार है। वेतन और भत्ते जो उन्होंने 31.12.2014 (अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख) को प्राप्त किए थे। इस न्यायालय के उपरोक्त आदेशों में

याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों, जैसे ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की गणना उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को की जानी चाहिए, जो मौजूदा मामले में 31.12.2014 है; और, उसके सेवानिवृत्ति लाभों की गणना पर, उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ अपने सेवानिवृत्ति बकाया के अनुपातक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जो 01.01.2005 से 31.12.2014 तक है, और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का दायित्व 31.01.1984 से 31.12.2004 तक, यानी 31.12.2004 तक, इस प्रकार संगणित सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करना है लगभग 21 वर्षों की अवधि के लिए।

10. उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने, सुविधाजनक रूप से, याचिकाकर्ता की उपदान और अवकाश नकदीकरण की गणना 31.12.2004 को प्राप्त वेतन और भत्तों के आधार पर की है, न कि उस वेतन और भत्तों के आधार पर जो 31.12.2014 को उनकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर उन्हें दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा गणना के इस तरीके को 2015 की विशेष अपील संख्या. 137 और दिनांक 03.07.2017 के बैच में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले मे त्रुटिपूर्ण बताया गया है। हम उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के विद्वान स्थायी वकील श्री आशीष जोशी की इस दलील से भी प्रभावित नहीं हैं कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ को उक्त भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को राशि, और इसे उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को देय राशि से समायोजित करें, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह रु 2.27 करोड़। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का दावा है कि उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ से उन्हें जो राशि देय है, वह केवल विधिवत गठित कानूनी कार्यवाही में ही वसूल की जा सकती है, न कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान के लिए दायर रिट याचिका में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ को भुगतान करने के लिए कहकर अपने तत्कालीन कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व से बच नहीं सकता है।

11. हम ऐसी परिस्थितियों में, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को 31.01.1984 से 31.12.2014 (उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के तहत सेवा की अवधि) तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना करने का निर्देश देना उचित समझते हैं, और 31.12.2014 को उनके द्वारा अंतिम बार लिए गए वेतन और भत्तों के आधार पर उक्त अवधि के लिए उन्हें उपदान और अवकाश नकदीकरण का भुगतान करें। याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्ति लाभ, जैसा कि उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में गणना की गई है, उन्हें इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर प्रति वर्ष 8% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा।यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि यदि 8% ब्याज के साथ भुगतान किए जाने वाले सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान ऊपर निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता इसके बाद 15% प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज के साथ इन सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान का हकदार होगा।"

6- जिसमें, 29.11.2019 के उपरोक्त निर्णय में, विशेष रूप से निर्णय के पैरा 11 में यह प्रावधान किया गया है कि U.P. के लिए एक उचित निर्देश जारी किया जाना है। सहकारी संघ, उन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना और निर्धारण करने के लिए, जो अपनी सेवाओं के विलय के बाद सेवानिवृत्त हुए थे उत्तराखंड सहकारी संघ से और सेवाओं की कुल अवधि, जो उन्होंने U.P. राज्य में प्रदान की है, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया के साथ ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण राशि के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाना चाहिए, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा के उस विशिष्ट कार्यकाल के लिए

कानूनी रूप से देय किया जाता, जिसे उन्होंने U.P. राज्य में प्रदान किया है, और वास्तव में, यह U.P. था। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसे दायित्व के उक्त हिस्से को पूरा करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, जो अन्यथा U.P. के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवाओं के वितरण के कारण उनके द्वारा वहन किया जाना था। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसे बाद में U.P. द्वारा गणना करने के लिए निर्धारित किया गया था। विलय किए गए कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सहकारी संघ द्वारा जारी किया जाता है।

7- इसी तरह के विवाद पर पहले भी इस न्यायालय की खण्ड पीठ विशेष अपील सं. 137/2015 **U.P.** राज्य सहकारी संघ, लखनऊ और एक अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह और अन्य, जो 3 जुलाई, 2017 के निर्णय द्वारा तय किया गया था, हालांकि उपदान राशि और छुट्टी नकदीकरण और अन्य पुनर्विचार लाभों के भुगतान के लिए देयता के निर्धारण के सिद्धांत मुद्दे से थोड़ा विचलन के साथ वास्तव में, 3 जुलाई, 2017 को दिए गए खण्ड पीठ के निर्णय ने बल्कि इस सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया था कि सेवा के कार्यकाल के लिए, जो कर्मचारी, जो उत्तराखंड राज्य से सेवानिवृत्त हुए थे, और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र उनके पक्ष में जारी किया गया है, उस स्थिति में, उन विलय किए गए कर्मचारियों के संबंध में उनके सेवानिवृत्ति भत्तों का निर्धारण, जो अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उत्तराखंड सहकारी संघ से U.P. द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सहकारी संघ, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर, जो उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के संबंधित कर्मचारियों के संबंध में उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी किया गया है।

दिनांक 03.07.2017 के निर्णय का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया हैः-

"24. जहाँ तक 09.08.2012 के समझौता ज्ञापन पर आधारित दलील का संबंध है, यह उस उपदान की राशि से संबंधित मुद्दे से संबंधित है जिस

पर अंतिम वेतन की गणना की जाती है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम पहले ही फैसले में चर्चा कर चुके हैं।

25. हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और इन्हें एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।"

8- हालाँकि, 29 नवंबर, 2019 के फैसले को, जैसा कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ (एस/बी) की रिट याचिका 448/2018 में दिया था**,** चंद्र मोहन अरोड़ा बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य को प्रबंध निदेशक**,** U.P. द्वारा चुनौती दी गई थी। सहकारी संघ लखनऊ, एस. एल. पी. (सी) नं**. 5914/2020** प्रबंध निदेशक**, P.C.F.,** लखनऊ बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ और अन्य**,** जिसे अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी 27 अगस्त, 2020 के अपने फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया था, और इसलिए, दायित्व, जिसे अब 29 नवंबर, 2019 को डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, U.P. राज्य द्वारा सेवानिवृत्ति देय राशि के प्रेषण के उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है, यह माना गया था कि यह उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के सिद्धांतों और नींव पर आधारित है, जैसा कि 3 जुलाई, 2017 के फैसले में निर्धारित किया गया था, जिसे उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित किया जाना था, जिसे यू. पी. में प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारियों की देय राशि के प्रेषण के आधार पर लिया जाना है। सहकारी संघ, इन सभी मुद्दा को शांत कर दिया गया है और इस प्रकार उपरोक्त निर्णय के परिणामस्वरूप, कुछ सिद्धांत, जो पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं और अब अनिर्णीत या दलील का आधार नहीं हैं, वे हैंः-

i. कि U.P. के कर्मचारी याचिकाकर्ताओं की तरह सहकारी संघ, जो उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के साथ अपनी सेवा के विलय के परिणामस्वरूप, उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ सेवाओं के विलय से पहले की अवधि के लिए उपदान, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए उनका दायित्व, U.P. द्वारा वहन किया जाना है। सहकारी संघ, सेवाओं के विलय से पहले की अवधि के लिए।

ii. यह अब दलील का विषय नहीं है, जिस पर किसी भी मंच पर बहस चल रही है, कि U.P. के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की अवधि के लिए। सहकारी संघ, जिनकी सेवाओं का बाद में उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ विलय कर दिया गया था, उत्तराखंड सहकारी संघ लिमिटेड के साथ सेवाओं के संबंधित विलय की तारीख से सेवाओं के कार्यकाल के लिए, जब तक कि वे अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, उस हिस्से के दायित्व को उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर पूरा किया जाना है।

iii- विशेष अपील सं. **137/2015 ,** दिनांक **3** जुलाई 2017 के निर्णय के आलोक में, विवाद को और शांत कर दिया गया है, यहाँ तक कि U.P. कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जब वे अपने साथ प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देय राशि का निर्धारण कर रहे हैं, तो उन्हें कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर अंतिम वेतन प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर इसका निर्धारण करना होगा, जो

उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी किया गया है और इसलिए, उनके सेवानिवृत्ति लाभ U.P. द्वारा निर्धारण नहीं किए जाएंगे। राज्य सहकारी संघ, अंतिम वेतन के आधार पर उनके निर्धारण के आधार पर, जो तब उनके द्वारा उत्तरखंड सहकारी संघ के साथ उनकी सेवाओं के विलय की तारीख पर निकाला जा रहा था

9- एक अन्य निर्णय में, जो सिविल अपील में दिया गया था, दीवानी याचिका सं **7113 / 2014 D.D.** तिवारी बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य**,** इसने सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि के विलंबित भुगतान पर ब्याज की पात्रता के मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा की थी। विशेष रूप से, उक्त निर्णय के पैरा 5 और 6 का संदर्भ दिया जा सकता है, जो यहाँ नीचे निकाला गया हैः-

..... "5. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी ने गलती से उपदान राशि का भुगतान रोक दिया है, जिसके लिए अपीलार्थी उपदान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत उपदान के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक राशि के भुगतान के लिए कानूनी रूप से हकदार हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम हाथ में मामले में ऐसा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

6. ऊपर बताए गए कारणों से, हम पात्रता की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक पेंशन और अधिनिर्णय राशि के विलंबित भुगतान पर 9% की दर से ब्याज देते हैं।यदि इस आदेश की प्रति की

प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उस पर मृतक कर्मचारी को देय राशि की तारीख से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस अपील की अनुमति है।"

10- यह उन कर्मचारियों के लिए भी ब्याज के भुगतान की पात्रता के मुद्दे पर संक्षिप्त रूप से विचार कर रहा था, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 7 (3ए) के तहत निहित वैधानिक शर्तों के आलोक में अपनी-अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे।

11. उपरोक्त व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो अब पहले से ही तय हो चुके हैं और इस तरह का कोई विवाद नहीं है, जिस पर अब इस न्यायालय द्वारा चर्चा की जानी बाकी है, कि यह बल्कि U.P सहकारी संघ, जिसे उत्तराखंड सहकारी संघ के विलय किए गए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के अपने हिस्से का भुगतान करना होगा, वह भी उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर आधारित होगा, जिसमें सेवाओं की अवधि के लिए देय राशि का निर्धारण किया जाएगा, जिसे उन्होंने क्रमशः U.P. सहकारी संघ के साथ प्रदान किया है। और इसके अलावा, ग्रेच्युटी की राशि और अन्य कानूनी रूप से हकदार सेवानिवृत्ति बकाया के विलंबित भुगतान पर, जिसे याचिकाकर्ता ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा, वे ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे जैसा कि दीवानी याचिका सं 7113 / *2014* ***(सुप्रा)*** के निर्णय में कहा गया है।

12- इसलिए, चूंकि ऊपर बताए गए इन सभी पहलुओं पर आम तौर पर विचार किया जाता है, इसलिए लगभग सभी मामलों निहित उन्हें एक साथ निपटाया जा रहा है।

13- वास्तव में, क्योंकि नीचे सूचीबद्ध प्रत्येक रिट याचिकाओं में, उनके दावे के निर्धारण में थोड़ा तथ्यात्मक अंतर होगा, संबंधित संघों के साथ प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के आधार पर, उन्हें प्रत्येक रिट याचिका के संबंध में अलग से निपटाया जाना आवश्यक है।

14. रिट याचिका सं। **1348 /2020,** माधो सिंह नेगी बनाम निबंधक**,** सहकारी समितियाँ और अन्य**,** याचिकाकर्ता को संबंधित समय पर ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत में वर्ग-IV कर्मचारी के रूप में प्रतिवादी के साथ 01 04.1978 को शामिल किया गया था, और

उपदान और छुट्टी नकदीकरण राशि के लिए दावा किया था, साथ ही अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि की गणना पहले ही प्रतिवादी सं. 2 और 3, यहाँ, i.e. उत्तराखंड सहकारी संघ, जिसने 3 जुलाई, 2015 को अपने पत्र इस प्रकार किए गए निर्धारण के अनुसार, रिट याचिका में यह तर्क देना गया है कि प्रतिवादी सं। 2 और 3 ने पहले ही दस साल की अवधि के लिए उपदान राशि का भुगतान कर दिया था, जिसकी राशि रु. 1,51,385/- थी और उन्होंने 31.01.2015 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर 61 दिनों के लिए रु. 53,355/- की छुट्टी नकदीकरण का भी भुगतान कर दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी नं 6 तत्काल रिट याचिका में 31 जनवरी, 2015 को U.P. को एक पत्र जारी किया गया है। सहकारी संघ, 23 अप्रैल, 1974 से 31 दिसंबर, 2004 तक अपनी सेवाओं की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि के प्रेषण के उद्देश्यों के लिए, यानी जिस तारीख को याचिकाकर्ता की सेवाओं का वास्तव में प्रतिवादीओं के साथ विलय किया गया था, उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, अंतिम वेतन के आधार पर और यह देखा गया कि याचिकाकर्ता ₹3,37,371/- प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्रेच्युटी राशि के लिए देय होगा और ₹1,29,883/- जो छुट्टी नकदीकरण के लिए देय होगा।

15- उत्तराखंड सहकारी संघ ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक उनके दायित्व का संबंध है, वे पहले ही 3 जुलाई, 2015 के अपने पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपने दायित्व का भुगतान कर चुके हैं।लेकिन शेष राशि के लिए, यह U.P है। सहकारी संघ, जिसे शेष राशि का भुगतान करना है, और प्रस्तुत किया है कि 30 मार्च, 2016 के अपने पत्राचार के माध्यम से, उन्होंने उपदान के लिए देय रु. 1,11,921/- की राशि का भुगतान किया है, लेकिन याचिकाकर्ता का दलील है कि द्वारा उपदान राशि का उक्त प्रेषण,u p ।सहकारी संघ की विशेष अपील 137 / 2017 में 3 जुलाई, 2017 को दिए गए निर्णय के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसे अंतिम वेतन के आधार पर प्रेषित नहीं किया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता ने तर्क देना है कि दायित्व के अलावा जिसे प्रतिवादी नं। 6, 31 जनवरी, 2015 के अपने पत्राचार में, जो ब्याज राशि के साथ प्रेषण के लिए भी हकदार होगा, जिसे भी अधिसूचना एस. ओ. नं. 873 (ई), 874 (ई) के अनुसार देय करने की परिकल्पना की गई है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 1 अक्टूबर, 1987 को खंड 7 (3ए) के तहत ब्याज के भुगतान को एक अनिवार्य वैधानिक ब्याज बनाते हुए, जिसे प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने और वैधानिक उपदान के विलंबित भुगतान के कारण प्राप्त करने का हकदार होगा।इसलिए, याचिकाकर्ता ने

रिट याचिका में अनुरोध किया था कि धारा 7 (3 ए) के तहत देय वैधानिक ब्याज के साथ उपदान और अर्जित अवकाश और अन्य स्वीकार्य बकाया जारी करने के लिए प्रतिवादीओं को परमादेश आदेश माध्यम से एक उचित निर्देश भी जारी किया जा सकता है, जो अनुपात के आधार पर है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है, साथ ही साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.10.1987 द्वारा भी।

16- U.P. सहकारी संघ,द्वारा लिया गया रुख हालांकि रिकॉर्ड पर कोई जवाबी शपथ पत्र दाखिल किए बिना, लेकिन उन्होंने 3 नवंबर, 2021 को एक सारणी पत्र संख्या. PCF/Prashan/ 2021-22/485/दिनांक प्रदान किया है, जिसमें, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया है, कि संचार सं. दिनांक 30 मार्च, 2016 को यह देखा गया कि उत्तराखंड सहकारी संघ और U.P. के बीच 2.27 करोड़ रुपये का समझौता हुआ। सहकारी संघ, राशि याचिकाकर्ता को प्रेषित नहीं की जा सकती है।U.P. सहकारी संघ द्वारा लिया गया प्रासंगिक रुख को निम्नानुसार निकाला गया हैः-

> "5503 दि0 30–3.16 द्वारा पीसीएफ को यूसीएफ द्वारा देय धनराशि रू 2.27 करोड से समायोजित कर भुगतान यूसीएफ द्वारा किया गया है।"

17. रिट याचिका सं। **1453 / 2020** गिरीश चंद्र जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि वह प्रतिवादी के साथ एक कनिष्ठ सहायक के रूप में काम कर रहे थे, और उस समय जब उनकी सेवाओं का स्थानांतरण किया गया था और उत्तराखंड सहकारी संघ W. E. F. 7 अक्टूबर 2002 में विलय किया गया था। और 1 अगस्त, 2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, वे सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद से, कनिष्ठ सहायक के रूप में, एक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी किया गया था तदनुसार 29 अगस्त, 2014 को उत्तराखंड सहकारी संघ के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके पक्ष में उन्होंने प्रस्तुत किया था कि 31 अगस्त, 2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, वास्तव में, उत्तराखंड सहकारी संघ ने 22 नवंबर, 2014 के अपने संचार के माध्यम से, अन्य बकाया राशि के साथ उपदान और छुट्टी नकदीकरण राशि की गणना की थी, जो याचिकाकर्ता को 23.06.1982 से 30.09.2002 की अवधि के लिए देय थी, लेकिन यू. पी. सहकारी संघ द्वारा याचिकाकर्ता को उतनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार

पर इस तथ्य के बावजूद कि इस मुद्दे का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के साथ-साथ इस न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णयों द्वारा किया गया है।

18- याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, उत्तराखंड सहकारी संघ ने 22 नवंबर, 2014 के अपने संचार के माध्यम से पहले ही 12 वर्षों की सेवाओं की अवधि के लिए देय ग्रेच्युटी राशि निर्धारित कर ली है, जिसकी राशि 2,93,988/- है और 155 दिनों की अवधि के लिए छुट्टी नकदीकरण राशि, जो कि 29. 08. 2014 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा याचिकाकर्ता को पहले ही भुगतान कर दी गई है, लेकिन अब तक 23 जून, 1982 से उत्तराखंड राज्य में सेवाओं के विलय की तारीख तक, यानी 30 सितंबर, 2002 से सेवाओं की अवधि के लिए शेष राशि निर्धारित की गई है। 30 सितंबर, 2002 को अभी भी U. P. सहकारी संघ द्वारा इसका भुगतान नहीं किया गया है। जो याचिकाकर्ता के दलील के अनुसार जो पहले से ही 22. 11. 2014 (रिट याचिका के अनुलग्नक- 4) के पत्राचार के अनुसार उपदान के लिए रु. 4,89,982/- और छुट्टी नकदीकरण के लिए रु. 2,05,247/- की राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित किया गया है।

19 U. P. सहकारी संघ ने 13 अप्रैल, 2021 को अपना जवाबी शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर जैसा कि 3 सितंबर, 2021 के संचार में कहा है उन्होंने याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति बकाया की गणना की है और 4 फरवरी, 2015 के उनके आदेश के अनुसार अंतिम वेतन के उक्त निर्धारण के आधार पर इसे अभिकथित रूप से प्रेषित किया गया है, और यह तर्क देना गया है कि इसके परिणामस्वरूप, उपदान के लिए रु. 1,00,846/- की राशि और रु. 42, 243/- छुट्टी नकदीकरण के लिए पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभिकथित रूप से स्वीकृत की गई उक्त राशि को एक बार फिर विवादित राशि 2. 27 करोड़ के वितरण के अधीन कर दिया गया है। जो कि U. P. राज्य के दो सहकारी संघों के बीच विवादित है। उत्तराखंड राज्य और यह U. P. सहकारी संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कि दो संघों के निर्माण के समय, उनके बीच 9 अगस्त, 2012, यानी i. e. सचिवों के बीच, पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दो सहकारी संघों के बीच और 49 कर्मचारियों की सूची के रूप में, जो उसमें प्रदान की गई थी, इसने उन कर्मचारियों के नाम का खुलासा किया, जिन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है।लेकिन, इस मामले में भी, उन्होंने दोहराया है और वही रुख अपनाया है, क्योंकि उपदान और छुट्टी नकदीकरण राशि का निर्धारण केवल 30 सितंबर, 2002 को लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर याचिकाकर्ता को प्रेषित किया

जाएगा, जो विशेष अपील सं. 137/ 2015 03. 07. 2017 में दिए गए निर्णय की अवमानना है। का. दिनांक 03. 11. 2021 के सारणीकरण में भुगतान न करने का कारण फिर से U. P. सहकारी संघ, के अधिकारियों के निर्णयों की अवमानना है। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया है:-

> "4954 दिनांक4–2–13 द्वारा पीसीएफ द्वारा देय *िनराशि रू 2.27 करोड़ से समायोजित कर क भुगतान यूसीएफ द्वारा किया जाता है।"*

20. रिट याचिकाकर्ता सं **1454 /2020** के सरदार सिंह गुसैन बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य ने प्रस्तुत किया था कि वह 19. 01. 1987 से सोयाबिन वनस्पति उद्योग, ह ल्दूचौड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में एक संचालक के रूप में प्रतिवादीयों के साथ काम कर रहे थे। जो शुरू में अविभाजित राज्य U. P. के क्षेत्रीय क्षेत्र के भीतर था, लेकिन बाद में उत्तराखंड सहकारी संघ के निर्माण के साथ, उनकी सेवाओं का एक संचालक के रूप में उक्त क्षमता में विलय हो गया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2, i. e. वर्ष 2005 में उत्तराखंड सहकारी संघ अपने वैधानिक अस्तित्व में आया ।उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, प्रतिवादी सं 1 और 2 ने 1 सितंबर, 2008 के अपने आदेश के अनुसार, ए. सी. पी. लाभ जो याचिकाकर्ता को क्रमशः 18 और 24 साल की सेवा के संतोषजनक समापन पर देय थे, याचिकाकर्ता को 31 अगस्त, 2011 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले ही प्रेषित कर दिए गए थे । याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादीयो दी किए गए कई अनुरोधों और प्रयासों के बावजूद, पूरे सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण के उद्देश्यों के लिए, उसे प्रेषित नहीं किया गया था, तो वह एक पूर्व रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया था, जो रिट याचिका (एस/एस) नं। **33 /2012** सरदार सिंह गुसाई बनाम **U.P.** राज्य सहकारी संघ और अन्य, जिस का इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 15 मई, 2013 के अपने फैसले के माध्यम से निपटारा किया था' जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थेः

> पीठ ने कहा, "तदनुसार, मैं प्रतिवादी प्राधिकरण को ग्रेच्युटी के अवशिष्ट के भुगतान, उसके द्वारा लिए गए पिछले वेतन के आधार पर गणना किए गए अवकाश भत्ते और अन्य सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए अनुरोध पर निर्णय लेने का निर्देश देता हूं, जिसमें याचिकाकर्ता की सुरक्षा की राशि 18% प्रति वर्ष की दर से भुगतान की वास्तविक तिथि तक शामिल है। इस

आदेश की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, यदि आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ता को सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।"

21 जब समन्वय पीठ द्वारा 5 मई, 2013 के अपने फैसले के माध्यम से दिए गए उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो उन्हें अवमानना याचिका भी दायर करनी पड़ी, जो अवमानना याचिका सं **91** वर्ष **2014** थी, लेकिन चूंकि कोई भी 29 अगस्त' 2019 को अवमानना याचिका को जोर देना के लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए अवमानना याचिका को ही पैरवी न करने पर (या अदालत में पेश ने होने पर) ख़ारिज कर दिया गया।

22- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि 31 अगस्त, 2011 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ अन्य विलय किए गए कर्मचारियों के विपरीत, उसने सेवानिवृत्त लाभों का निर्धारण किया था जो याचिकाकर्ता को कानूनी रूप से देय थे और तदनुसार, 3 सितंबर, 2011 को उनके संचार के माध्यम से, उत्तराखंड सहकारी संघ ने गणना की थी और सात साल की अवधि के लिए उपदान राशि के अपने हिस्से का भुगतान किया था, जो रु 98, 000/- और 84 दिनों के लिए रु. 84,246/- की छुट्टी नकदीकरण राशि, और शेष राशि के लिए, उत्तराखंड सहकारी संघ ने अपने दिनांक 03. 09. 2011 के पत्र के माध्यम से, U. P. सहकारी संघ को लिखा था। 3 कि 5 लाख रुपये की शेष उपदान राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 2,52,000/- और रुपये की छुट्टी नकदीकरण राशि 2,16,634/-, i. e. 19. 01. 1987 से 31. 12. 2004, यानी याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक अपनी सेवाओं के विलय की तारीख तक प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए देय रु. 4,68,683/- की कुल राशि।

23 याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इस प्रकार उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि में से, U. P. सहकारी संघ ने 3 सितंबर, 2011 के अपने संचार के माध्यम से, वास्तव में, U. P. सहकारी संघ ने 1 नवंबर, 2013 के अपने आदेश के अनुसार उपदान के लिए देय राशि 1,18,000/- और 24 दिसंबर, 2013 के अपने आदेश के अनुसार 216 दिनों के लिए छुट्टी नकदीकरण राशि, जो कि रु. 81,878/- है, को मंजूरी दी है। लेकिन, फिर भी, स्थापित कानून के बावजूद, U. P. सहकारी संघ ने अभी तक इस अवधि के लिए शेष राशि नहीं भेजी है। W. E. F. 19 जनवरी' 1987 से 31 दिसंबर, 2004 को याचिकाकर्ता की सेवाओं के

विलय की तारीख तक, यानी i. e. 18 वर्षों के लिए उपदान, रुपये. 2,39,716/ - की राशि और छुट्टी नकदीकरण, रु. 1,66,234/-।इसलिए, मुख्य रूप से याचिकाकर्ता का दलील है कि U.P. सहकारी संघ अभी भी 3 सितंबर, 2011 को उत्तराखंड सहकारी संघ के संचार के आधार पर कुल ₹.4,05,994/- की शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें यू. पी. द्वारा पहले से ही भुगतान की गई राशि को शामिल नहीं किया गया है। सहकारी संघ ने क्रमशः 1 नवंबर, 2013 और 24 दिसंबर, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता का दलील है कि उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत, वह U.P. सहकारी संघ द्वारा शेष राशि के प्रेषण का भी हकदार होगा। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर, जैसा कि 31 अगस्त, 2011 को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उनके पक्ष में जारी किया गया था।

24 U.P. सहकारी संघ ने 13 अप्रैल, 2021 को रिट याचिका के लिए एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया था, और उसके जवाब में, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि ₹.1,18,094/- की उपदान राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को रिट याचिका संख्या में दिए गए निर्णय के अनुसार और उसके अनुपालन में किया जाना है। **2012** का **33,** जैसा कि 15 मई, 2013 को तय किया गया था, और उन्होंने तर्क देना है कि 1 नवंबर, 2013 के उनके पत्र के अनुसार, कुल रु. 1,99,972/- की उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और केवल एक विपरीत रुख अपनाया गया है। U.P. सहकारी संघ ने 3 नवंबर, 2021 को न्यायालय को दिए गए पत्र में कहा है कि याचिकाकर्ता के संबंध में उन्होंने एक चेक प्रस्तुत किया है जिस पर सं. 09355 दिनांक 13 दिसंबर, 2013 को याचिकाकर्ता के पक्ष में ₹.1,18,094/- की राशि के लिए जारी किया गया है, लेकिन शेष राशि, जिसे 1 नवंबर, 2013 के पत्राचार में स्वीकृत किया गया था, याचिकाकर्ता को भुगतान किए जाने के लिए प्रतिबिंबित नहीं होती है जैसा कि उनके पत्र संख्या में दिखाया गया है। 13-14/3139 दिनांक 1 नवंबर, 2013।जिसका प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः-

> 3139 दि0 01–11–13 के क्रम में को पीसीएफ द्वारा चेक सं0 009355 दि0 13–12–13 के द्वारा भुगतान किया गया।

25- रिट याचिका सं। **1460/2020 ,** दमयंती हसन बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य**,** वास्तव में**,** रिट याचिका का याचिकाकर्ता, मृतक कर्मचारी की विधवा है, जो शुरू में U.P. के साथ जुड़ा हुआ था। 06.07.1985 को एक संचालक के रूप में सहकारी संघ, यानी। स्वर्गीय श्री डेविड आरिफ हसन, जिनका 27 अगस्त, 2019 को निधन हो गया था। याचिकाकर्ता की विधवा द्वारा यह तर्क देना जाता है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति, जिन्हें शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था, U.P. के साथ। 6 जुलाई, 1985 को सहकारी संघ और वह अपनी सेवाओं के विलय के बाद 30.10.2010 को उत्तराखंड सहकारी संघ की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे, और उनके साथ सोया बीन वनस्पति उद्योग हलदूचौर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में "प्रभारी" के रूप में काम करने के बाद से और उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो प्रतिवादी सं. 25 नवंबर, 2010 को 1 और 2।

26- उन्होंने कहा कि जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा 31.12.2004 से 20.11.2010 तक उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ प्रदान की गई सेवाओं की अवधि को देखते हुए, 29 नवंबर, 2010 को संबंधित है, उत्तराखंड सहकारी संघ ने पहले ही छह साल की अवधि के लिए उपदान राशि को मंजूरी दे दी थी, जो कि रु. 84,000/- और 190 दिनों के लिए छुट्टी नकदीकरण थी, जो रु. 87,915/- यानी रु. 25.11.2010 को उनके दिवंगत पति को जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा पहले ही रु. 1,71,915/- की कुल राशि का भुगतान किया जा चुका है।

27- याचिकाकर्ता की कष्ट यह है कि वर्तमान में वह अपने पति, W.E.F की प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि के लिए शेष राशि के भुगतान के लिए अपने दावे का विरोध कर रही है। **6** जुलाई**, 1985** तक जब तक उनकी सेवाओं का **31** दिसंबर**, 2004** तक उत्तराखंड सहकारी संघ में विलय नहीं हो गया। रु. 2,66,000/- और 210 दिनों की सेवा के लिए छुट्टी नकदीकरण, कुल रु. 2,05,135/- की राशि, जो अभी भी याचिकाकर्ता को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर किए जाने के निर्धारण पर, उस पर देय वैधानिक ब्याज के साथ भुगतान किया जाना था।

28- उसने प्रस्तुत किया था कि वह उपरोक्त राशि के प्रेषण पर विचार करने की हकदार होगी, एक निर्णय के आधार पर, जिसे उसने रिट याचिका में संदर्भित किया था, जिसे रिट याचिका (एस/एस) संख्या में प्रस्तुत किया गया था। **2011** का **210,** डेविड आरिफ हसन बनाम **U.P.** सहकारी संघ और दूसरा**,** जिसे पहले याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा पेश किया गया था, और जैसा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 29 मार्च, 2011 को निर्णय लिया गया था, जिसमें समन्वय पीठ ने अपने फैसले में, पहले के फैसलों के आधार पर, 20 नवंबर, 2006 को लिखित याचिका संख्या में प्रस्तुत किया गया था। **2005** का **1176,** आनंद स्वरूप बनाम **U.P.** राज्य सहकारी संघ और अन्य**,** साथ ही 15 जून, 2007 को खण्ड पीठ के फैसले को विशेष अपील सं। 2006 का 176, U.P. स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम आनंद स्वरूप और अन्य ने प्रतिवादीओं को निर्देश जारी किए थे कि दोनों सहकारी संघों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर, क्योंकि यह समझौता ज्ञापन एकतरफा रूप से रद्द किया गया है, इसका पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की खंड 54 के प्रावधानों के आलोक में दोनों सहकारी संघों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भेजे जाने वाले लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

29- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जब याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा 7 मार्च, 2011,1 अप्रैल, 2011 और 7 जुलाई, 2011 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करके किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद, जब इसके बावजूद राशि उनके हिस्से के संबंध में U.P द्वारा प्रेषित नहीं की गई थी। सहकारी संघ, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से बंधा था, साथ ही 30 जुलाई, 2011 को इस न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय, और उपदान राशि, छुट्टी भुनाने और वेतन के अवशिष्ट राशि का केवल एक हिस्सा ₹.2,43,973/- का भुगतान किया था, लेकिन शेष राशि, जो उसके दिवंगत पति के अवशिष्ट के रूप में उसे देय करने के लिए निर्धारित की गई थी, 30.07.2011 के उत्तराखंड सहकारी संघ के निर्णय के अनुसार, जिसे U.P. को संदर्भित किया गया था। सहकारी संघ को 6 जुलाई, 1985 से 31 दिसंबर, 2004 तक की सेवा अवधि के लिए अभी तक नहीं भेजा गया है।इसलिए, उन्होंने प्रतिवादी को परमादेश देने वाले परमादेश की प्रार्थना के साथ रिट याचिका दायर की है, कि अब से यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अनिर्णीत है, याचिकाकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा U.P. के साथ प्रदान की गई

सेवाओं के लिए पूरे बकाया का प्रेषण किया जाए। सहकारी संघ, अधिनियम की खंड 7 (3 ए) के तहत उस पर देय वैधानिक ब्याज के साथ उसे प्रेषित करने का हकदार है, क्योंकि यह अधिसूचना सं. 1 अक्टूबर, 1987 को भारत सरकार द्वारा जारी 873 (ई) और 874 (ई)।

30- प्रतिवादी सं। 3 और 4, यहाँ, i.e. U.P. हालांकि सहकारी संघ ने तथ्यात्मक रूप से विवरणों को स्वीकार किया है, जिस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। बल्कि उन्होंने 25.11.2010 को याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के पक्ष में जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर, सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए दायित्व के अपने हिस्से के बर्खास्तगी के संबंध में एक बहुत ही अस्पष्ट जवाब दिया है।हालाँकि प्रतिवादीओं द्वारा प्रदान की गई सारणीकरण, i.e. U.P. 3 नवंबर, 2021 को अदालती कार्यवाही के दौरान सहकारी संघ का पत्र संख्या. PCF/Prashan/2021-22/4851, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कुल उपदान राशि रु. 1,24,184/- और उस पर देय ब्याज रु. 10, 000/- पहले ही चेक संख्या द्वारा से याचिकाकर्ता को प्रेषित किए जा चुके हैं। 647765 दिनांक 19 जुलाई, 2011, लेकिन जवाबी शपथ पत्र या 3 नवंबर, 2021 का संचार, जैसा कि U.P. द्वारा दायर किया गया है। सहकारी संघ देर से प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति बकाया की शेष राशि के प्रेषण के लिए अपने दायित्व के संबंध में चुप है। याचिकाकर्ता का पति उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए U.P. सहकारी संघ।

31- लिखित याचिका सं। **2020** का **1854,** घनश्याम सिंह बनाम **U.P.** स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और अन्य**,** याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद; उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ काम करने के बाद, 31 जनवरी, 2011 को सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद, जब याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद उन्हें ग्रेच्युटी राशि, छुट्टी नकदीकरण और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया गया था, तो उन्होंने एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी, जो रिट याचिका संख्या थी। **2011** का **435,** घनश्याम सिंह और एक अन्य बनाम **U.P.** सहकारी संघ लिमिटेड और एक अन्य, जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 13 मई, 2011 के फैसले द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया थाः- ....

"श्री आशीष जोशी, U.P. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता। कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड स्वीकार करता है कि यह मामला उपरोक्त रिट याचिका में पारित 29.9.2011 के निर्णय द्वारा पूरी पूरी तरह से समावेषित किया गया है।

इस प्रकार, इस रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 29.3.2011 के आदेश के संदर्भ में भी किया गया है। 2011 का **210 (**एस/एस**)** डेविड आरिफ हसन बनाम यू**.** पी**.** सहकारी संघ लिमिटेड और एक अन्य।"

32- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के बावजूद, जो 29 मार्च, 2011 को समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों पर आधारित था, जब निर्णय और रिट याचिका सं. 2014 का 738, राजेंद्र सिंह बनाम U.P. राज्य सहकारी संघ और अन्य, जैसा कि 24 मार्च, 2017 को निर्णय लिया गया था**,** याचिकाकर्ता के पास मौजूदा रिट दाखिल करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था उसे देय सेवानिवृत्ति लाभों की राशि के प्रेषण के लिए याचिका।

33- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जनवरी, 2011 के महीने में हेड फिटर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, लेकिन उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप, 31 जनवरी, 2011 को उत्तराखंड सहकारी संघ ने एक अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सेवानिवृत्त लाभों के निर्धारण के उद्देश्यों के

लिए लिए गए वेतन को प्रमाणित किया गया था, जो 21.01.2011 का पत्र संख्या. Soya/Van/Lekha/ 2010-11 था।उन्होंने कहा कि जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, उत्तराखंड सहकारी संघ ने छह साल की अवधि के लिए उपदान की राशि की गणना की है और 127 दिनों की अवधि के लिए अर्जित अवकाश राशि का भुगतान किया है। 5768-73/यू. सी. एफ./स्थापना/2010-11 दिनांक 3 फरवरी, 2011 और इसके परिणामस्वरूप, क्रमशः रु. 8.84,000/- और 1,27,800/- की राशि, जो कुल रु. उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा पहले ही 2,11,800/- का भुगतान किया जा चुका है।विवाद, जिसे अब याचिकाकर्ता द्वारा उत्तेजित किया जाना चाहिए, वह यह है कि उत्तराखंड सहकारी संघ ने अपने संचार सं। दिनांक 3 फरवरी, 2011 को 5768-73/UCF ने U.P. को लिखा था। सहकारी संघ कि उपदान की शेष राशि, i.e. 19 वर्षों की सेवा अवधि के लिए रु. 2,66,000/- और 173 दिनों की अवधि के लिए एक अर्जित अवकाश, जो कुल रु. 1,74,090/- है, उस पर देय ब्याज के साथ रु. 4,40,090/- है, अभी भी U.P. द्वारा भुगतान किया जाना है। सहकारी संघ, लेकिन चूंकि इसे प्रेषित नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने इस न्यायालय के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण के लिए मौजूदा रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी।..

34- लेकिन जब याचिकाकर्ता द्वारा U.P. से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद। सहकारी संघ, जब 2 अक्टूबर, 2020 को उनके आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, तो

याचिकाकर्ता ने रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसमें तर्क दिया गया है कि निर्णय के मुख्य भाग, U.P. में पहले से ही उल्लिखित विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांत। सहकारी संघ, सेवानिवृत्ति लाभों की शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा किए गए पत्राचार के अनुसार भुगतान करने के लिए संदर्भित किया गया है।

35- मौजूदा रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए विवाद और राहत के जवाब में, प्रतिवादी के वकील सं 1 और 2, यहाँ, i. e. U. P. सहकारी संघ ने 13 अप्रैल, 2021 को जवाबी शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें प्रबंध निदेशक द्वारा लिखे गए 7 अक्टूबर, 2011 के संचार को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 13 जून, 2011 के अपने फैसले में लिए गए निर्णय और रिट याचिका संख्या दिनांक 29 मार्च, 2011 का 210 में लिए गए निर्णय का उल्लेख किया गया है।, उसमें निर्दिष्ट राशि में से कुछ राशि याचिकाकर्ता को, जो 31. 01. 2011 को सेवानिवृत्त हुए थे, हेड फिटर के रूप में अपनी सेवाओं से पहले ही देय कर दी गई है।7 अक्टूबर, 2021 के पत्र में, वास्तव में, यदि उक्त पत्र की जांच की जाती है, तो प्रतिवादीओं ने केवल रु। 1,27,461/ - और रुपये की छुट्टी नकदीकरण। 67, 055/ - लेकिन दिनांक 07. 10. 2021 के उक्त पत्राचार के समापन भाग में, यह देखा गया कि उक्त राशि का प्रेषण हालांकि इस प्रकार कार्यालय से अनुमोदित दिखाया गया था, लेकिन इसे मुख्यालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद ही देय किया जाएगा, जिसका अर्थ है, प्रतिवादी सं. 1 और 2 भी, ऐसी कोई राशि, जो 7 अक्टूबर, 2011 को स्वीकृत दिखाई गई थी, आज तक याचिकाकर्ता को भुगतान नहीं की गई थी, क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 1 के मुख्यालय द्वारा दी जाने वाली मंजूरी के बशर्ते थी। 1 और 2. इस प्रकार जवाबी शपथ पत्र में निवेदन करना और कुछ नहीं बल्कि एक छलावा और अवमानना भी थी।

36- U. P. सहकारी संघ ने 13 अप्रैल, 2021 को एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया था, जिसमें उन्होंने संदर्भ दिया है कि 13 मई, 2011 के निर्णय के परिणामस्वरूप, जैसा कि रिट याचिका सं. 435 /2011, याचिकाकर्ता को उनके 7 अक्टूबर, 2011 के पत्र के माध्यम से सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान किया गया है, जिसे जवाबी शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है,

लेकिन फिर भी, उक्त संचार में बहुत चतुराई से, हालांकि प्रतिवादियों ने ग्रेच्युटी राशि और छुट्टी नकदीकरण राशि के साथ- साथ अन्य बकाया राशि की मंजूरी का उल्लेख किया है, जिसका उसमें विवरण दिया गया है, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उक्त राशि केवल याचिकाकर्ता को यू. पी. के मुख्यालय द्वारा दी जा रही मंजूरी के बशर्ते देय होगी। सहकारी संघ। लेकिन U. P. सहकारी संघ द्वारा न्यायालय को प्रदान किए गए विवरणों में उनके द्वारा लिए गए विपरीत रुख पर, पत्र सं0 पी. सी. एफ. / प्रशासन/ 2021- 22/ 4851 दिनांक 3 नवंबर, 2021, याचिकाकर्ता के संबंध में 7 अक्टूबर, 2021 के पत्र का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि ₹. 1,27,461/ - की राशि का भुगतान याचिकाकर्ता को चेक संख्या228358 को दिनांक 5 अक्टूबर, 2011 के माध्यम से ₹. 1,0000/ - किया गया है।, लेकिन न्यायालय को या जवाबी शपथ पत्र में दिए गए विवरण, वे शेष राशि के वास्तविक प्रेषण के संबंध में आत्यन्तिक रूप से चुप हैं, जिसे याचिकाकर्ता U. P. सहकारी संघ के साथ प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए प्राप्त करने का हकदार होता।

37. रिट याचिका (एस/एस) सं। 1902 /2020 , चंडी प्रसाद रतुरी बनाम U.P. स्टेट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और अन्य, यह मुकदमे का दूसरा दौर है, इससे पहले, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस/ एस) नं. 1809 / 2014 , जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 7 नवंबर, 2014 के अपने फैसले के माध्यम से निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया थाः-

"2. हालाँकि, इस विवाद का फैसला पहले ही इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा U.P. में किया जा चुका है। सहकारी संघ लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य (14.05.2010 को एस. पी. ए. सं. 229 / 2009 , जो बदले में पिछले पर आधारित था

> इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 31. 12. 2004 तक के सभी बकाया का भुगतान करना उत्तर प्रदेश राज्य संघ लिमिटेड का दायित्व है और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड पर 01. 01. 2005 से शुरू होने वाले बकाया का भुगतान करने का दायित्व है।
>
> 3- उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के वकीलों के अनुसार, याचिकाकर्ता को ये बकाया पहले ही चुका दिए जा चुके हैं,

लेकिन 31. 12. 2004 तक उत्तर प्रदेश स्टेट फेडरेशन लिमिटेड की देनदारियों का याचिकाकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है।

4- प्रतिवादियों के विद्वान वकीलों ने अदालत में कहा कि मौजूदा मामला यू. पी. में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी पूरी तरह से समावेषित किया गया है। सहकारी संघ लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य (14. 05. 2010 को एस. पी. ए. सं. 229/ 2009) ।

5- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटान U. P. में पारित उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में किया जाता है सहकारी संघ लिमिटेड और एक अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और अन्य ।(14. 05. 2010 को एस. पी. ए. सं. 229 / 2009) ।

6- यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की गणना करते समय, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन को ध्यान में रखा जाए।

38- तथ्य यह है कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने ग्रैच्युटी, अर्जित अवकाश और अन्य स्वीकार्य बकाया का भुगतान न करने के लिए अपनी कष्ट के निवारण के लिए दूसरी बार रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके अनुसार, उन्होंने तर्क देना कि वह 31 जनवरी, 2013 को सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद, 27. 07. 1984 से 31. 12. 2004 तक की अवधि के लिए एक स्टोर कीपर के रूप में प्राप्त करने के हकदार थे, जब उनकी सेवाओं को U. K. सहकारी संघ में विलय कर दिया गया था।

39- याचिकाकर्ता का दलील था कि उन्हें शुरू में 21 जुलाई, 1984 को तत्कालीन U. P. सहकारी संघ के साथ सोया बीन इवाम वनस्पति इंडस्ट्रीज, हलदूचौर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में एक स्टोर कीपर के रूप में नियुक्त किया गया था।, लेकिन, उत्तराखंड राज्य के निर्माण और U. P. सहकारी संघ के अधिग्रहण के नतीजन, उत्तराखंड सहकारी संघ अस्तित्व में आया, और नतीजन उनकी सेवाओं का उत्तराखंड सहकारी संघ W. E. F. में विलय हो गया। 01. 01. 2005. उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ उनकी सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप, उन्हें 16 फरवरी, 2008 के एक आदेश द्वारा क्रमशः 18 और 24 साल की सेवा पूरी करने पर प्रथम और द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि 31 जनवरी, 2013 को

उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले, उत्तराखंड सहकारी संघ ने अपने पत्र सं0 9860- 65/ यू. सी. एफ. / स्था/ 2012- 13 दिनांक 16. 03. 2013 ने वास्तव में उपदान और अर्जित अवकाश की कुल राशि की गणना पहले ही कर ली थी, जो याचिकाकर्ता को उसके द्वारा उत्तराखंड सहकारी संघ को दी गई सेवाओं के लिए 01. 01. 2005 से 31. 01. 2013 की अवधि के लिए देय थी, और इसके परिणामस्वरूप, एक वर्ष की अवधि के लिए उपदान राशि का भुगतान करने योग्य होने का आकलन किया गया था, जिसकी राशि रु. 23,270/ - थी और 20 दिनों के लिए अवकाश नकदीकरण राशि रु. 26, 889/ -, जो उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा पहले ही प्रेषित किया जा चुका है, उक्त अवधि के लिए 01. 01. 2005 से 31. 01. 2013 तक।

40- उन्होंने आगे कहा कि 16 मार्च, 2013 का उपरोक्त संदेश भी उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा U. P. सहकारी संघ को भेजा गया था।, जिसके द्वारा, 1 नवंबर 2014 को उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर, U. P. सहकारी संघ को 21 जुलाई, 1984 से 31 दिसंबर, 2004, तक की सेवाओं की अवधि के लिए रु. 4,65,392/ - की उपदान राशि और रु. 2,27,215/ - की अर्जित अवकाश राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था अर्थात उनकी सेवाओं के विलय से पहले।

41- याचिकाकर्ता ने तर्क देना कि U. P. सहकारी संघ हालांकि 21 फरवरी, 2015 को ने रु. 2,15,329/ - की उपदान राशि को मंजूरी दी थी, लेकिन इसकी गणना अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं की गई थी, जो उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 1 नवंबर, 2014 को उनके पक्ष में जारी किया गया था, और इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह रु. 7,24,821/ - की सेवानिवृत्ति बकाया प्राप्त करने के हकदार होंगे, क्योंकि इसका आकलन उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 26. 09. 2013 को अपने पत्राचार में किया गया था, जो यू. पी. सहकारी संघ को एक राशि के रूप में, किया गया था। जो याचिकाकर्ता को देय थी।

42- रिट याचिका का प्रतिवाद प्रत्यर्थी सं। 1 और 2, i. e. U. P. सहकारी संघ, और इसके जवाब में, जवाबी शपथ पत्र में, उन्होंने 21 फरवरी, 2015 को किए गए सेवानिवृत्ति लाभों की मंजूरी का उल्लेख किया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा असंतोष दर्ज किया गया है, क्योंकि यह अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर आधारित नहीं है, इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 ने 09. 02. 2005 के समझौता ज्ञापन का भी संदर्भ दिया है, जैसा कि पुनर्गठन अधिनियम की धारा 48,59 और 60 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार दोनों सहकारी संघों के बीच हुआ

था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन उन कर्मचारियों की सूची में, जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ विलय कर दिया गया था, याचिकाकर्ता का नाम उक्त सूची में से S. No 9 पर पाया गया।

43- मौजूदा रिट याचिका की कार्यवाही के दौरान, हालाँकि 13. 04. 2021 को अपना जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने के बाद, U. P. सहकारी संघ ने दिनांक 03. 11. 2021 को एक सारणी पत्र की आपूर्ति की थी, जिसमें, अपने अंतिम कॉलम में, उन्होंने उपदान की राशि और छुट्टी को भुनाने में अपनी असमर्थता के कारण बताए हैं और याचिकाकर्ता के मामले में, राशि का भुगतान करने में उनकी असमर्थता के कारण के रूप में निम्नलिखित संदर्भ दिया गया है, जो यहां निकाला गया है:-

> "4815 दिनांक 21.2.15 द्वारा पीसीएफ को यूसीएफ द्वारा देय धनराशि रू 2.27 करोड़ से समायोजित कर के भुगतान यूसीएफ द्वारा किया गया है।"

44- रिट याचिका (एस/एस) सं। 369 /2021 अजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य, याचिकाकर्ता के कहने पर उपदान और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए मुकदमे का दूसरा चरण है, जिसे वह U. P. सहकारी संघ की ओर से निष्क्रियता के कारण प्रेषित करने से वंचित था। सबसे पहले, उन्होंने रिट याचिका दायर करके रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो रिट याचिका नं। 212/ 2011 अजीत सिंह बनाम U. P. सहकारी संघ लिमिटेड और एक अन्य, जिसका 29 मार्च, 2011 के फैसले द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटारा किया गया थाः-

> "आज U.P. का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जोशी द्वारा एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया है। राज्य सहकारी संघ, जिसे अभिलेख में लिया जाता है। जवाबी शपथ पत्र में, मौजूदा मामले और पहले के मामलों के बीच अंतर पैदा करने का एकमात्र आधार यह है कि प्रतिवादियों के अनुसार पहले के मामलों का निर्णय U.P. राज्य सहकारी संघ और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के बीच 6.11.2004 के समझौता ज्ञापन के आधार पर किया गया था। जिसके द्वारा U.P. राज्य सहकारी संघ द्वारा देय राशि दी जानी है एकतरफा रूप से सभी समान "U.P. राज्य सहकारी संघ ने अब 10.11.2010 के आदेश के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है और चूंकि समझौता ज्ञापन 10.11.2010 को रद्द कर दिया गया था और याचिकाकर्ता 31.01.2011 को सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए यह लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। संक्षेप में यह अब श्री जोशी का तर्क है।प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क पूरी तरह से गलत है क्योंकि उक्त समझौता ज्ञापन पर इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ इस

न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया है और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ उन्हें दिए गए हैं। यह "U.P राज्य सहकारी संघ". के लिए खुला नहीं है। "एक M.O.U को एकतरफा रूप से रद्द करने के लिए। केवल इसलिए कि M.O.U. इसे रद्द कर दिया गया है, इससे मामले में कोई महत्वपूर्ण फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ इस न्यायालय की खण्ड पीठ दोनों ने उक्त पर आधार बनाया है M.O.U. उनके पहले के आदेशों में।U.P. राज्य सहकारी संघ ने स्पष्ट रूप से केवल एकतरफा रूप से उक्त को वापस ले लिया है। M.O.U. (जो किसी भी मामले ठीक होना वे नहीं कर सकते) विशुद्ध रूप से इस न्यायालय के न्यायिक आदेशों को दरकिनार करने के लिए। इसलिए यह मामला किसी भी तरह से पहले के मामलों से अलग नहीं है, जहां समान रूप से रखे गए व्यक्तियों के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। इसलिए रिट याचिका का निपटान रिट याचिका संख्या 20.11.2006 में पारित आदेश के संदर्भ में किया जाता है। 1176/ 2005 का (एस/एस) आनंद स्वरूप बनाम U.P. राज्य सहकारी संघ और अन्य के साथ-साथ 15.6.2007 का आदेश इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा विशेष अपील सं. 176 /2006 U.P. स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम आनंद स्वरूप और अन्य।"

45- 29 मार्च, 2011 को तय किए गए फैसले की शर्तों के अनुसार, समन्वय पीठ ने 20 नवंबर, 2006 के फैसले के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों की राशि के प्रेषण का निर्देश दिया है, जिसे पहले की रिट याचिका (एस/ एस) संख्या में प्रस्तुत किया गया था। 1176 / 2005, आनंद स्वरूप बनाम U. P. राज्य सहकारी संघ और अन्य, जिसकी बाद में खण्ड पीठ 15 जून, 2007 के अपने फैसले में प्रमाणित, जैसा कि 2006 की विशेष अपील संख्या 176 में दिया गया था। **29 मार्च, 2011** के फैसले के बाद, याचिकाकर्ता ने एक बार फिर U. P. सहकारी संघ के समक्ष अपनी शिकायतों का प्रतिनिधित्व किया था। 29 मार्च, 2011 के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण के लिए 11 अप्रैल, 2011 को।

46- याचिकाकर्ता द्वारा 11 अप्रैल, 2021 के अपने अभिवेदन के माध्यम से किए गए पत्राचार के जवाब में, U. P. सहकारी संघ ने अपने पत्र सं। पी. सी. एफ. / लेखा/ 2011- 12/ 49917, दिनांक 30 जुलाई, 2011 ने याचिकाकर्ता को उपदान राशि के रूप में रु. 1,67,128/ - का भुगतान किया था। 74, 491/ - , 5 वें वेतन आयोग का अवशिष्ट रु। 31, 665/ - और रु. 10,000/ - का ब्याज। लेकिन, चूंकि उक्त राशि U. P. द्वारा प्रेषित की गई थी। 30 जुलाई,

2011 के पत्राचार द्वारा सहकारी संघ अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं था, जैसा कि उत्तराआदेश सहकारी संघ द्वारा उनके पक्ष में जारी किया गया था 18 जनवरी, 2012 को 4959- 62/ यू. सी. एफ. , याचिकाकर्ता को मौजूदा रिट याचिका को प्राथमिकता देनी थी, जो रिट याचिका (एस/ एस) संख्या थी। 369 / 2021 , U. P. सहकारी संघ के लिए एक उचित दिशा की मांग।, कि पुनर्गठन अधिनियम की आदेश 54 के तहत संरक्षित ब्याज के अनुसार, वह 20 मई, 1977 से 31 दिसंबर, 2005 तक की अवधि के लिए ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश सहित सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण का हकदार होगा, जब उन्हें शुरू में जिला कार्यालय हल्द्वानी, जिला नैनीताल में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में शामिल किया गया था, और बाद में, जब उनकी सेवाओं को उत्तराआदेश सहकारी संघ W. E. F. में विलय कर दिया गया था। 01. 01. 2005.

47 - उन्होंने प्रस्तुत किया कि 31 जनवरी, 2011 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, और एक कनिष्ठ सहायक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद, उत्तराखंड सहकारी संघ ने 3 फरवरी, 2011 के अपने पत्राचार के माध्यम से, पत्र सं. 5762- 67/ यू. सी. एफ. / 2010- 11, जिसके तहत 6 वर्षों के लिए उपदान की राशि रु. 61, 765/ - और 84 दिनों के लिए अर्जित अवकाश राशि रु 78, 764/ - याचिकाकर्ता को 18. 01. 2012 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर प्रेषित किया गया था, जो उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए अंतिम वेतन को प्रमाणित किया गया था।

48- रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि 3 फरवरी, 2011 के पत्राचार के बावजूद, U.P. सहकारी संघ को उत्तराखंड सहकारी संघ, चूंकि 30 मई, 1977 से 31 दिसंबर, 2004 तक की अवधि के लिए उपदान और अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान अंतिम वेतन के आधार पर नहीं किया गया था, जैसा कि उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा प्रमाणित किया गया था, याचिकाकर्ता के लिए रिट याचिका को प्राथमिकता देने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जब 6 नवंबर, 2020 का उनका अभिवेदन अनुत्तरित रहा।

49- नोटिस जारी करने पर, प्रतिवादी सं 3 और 4 ने इसमें अपने जवाबी हलफनामे दायर किए हैं, जिसमें उत्तराखंड सहकारी संघ ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने विभाग द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार और जैसा कि ऊपर

विस्तृत है, दायित्व के अपने हिस्से का निर्वहन किया है और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की राशि के भुगतान के लिए अब उन पर कोई दायित्व नहीं है।

50- U. P. सहकारी संघ ने 13 अप्रैल, 2021 को कोई विशिष्ट कारण या विवरण दिए बिना एक बहुत ही अस्पष्ट और टालमटोल करने वाला जवाबी शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, कि 30 मई, 1977 से 31 दिसंबर, 2004 की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभ याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर क्यों नहीं भेजे जा रहे थे। इस मामले में भी, जब रिट याचिका पर बहस की जा रही थी, तो U. P. सहकारी संघ ने दिनांक 03. 11. 2021 को एक सारणीकरण चार्ट प्रदान किया था, जिसमें उनकी असमर्थता का विवरण दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए दोहराया है कि उन्होंने 4 जुलाई, 2011 को एक करोड़ रुपये का चेक जारी किया है। 1,67,128/- रुपये के ब्याज के स्थिर। 10, 000/-, चेक सं 647764 दिनांक 19 जुलाई, 2011 को, लेकिन याचिकाकर्ता की कष्ट यह है कि यह राशि, जिसका विवरण सारणी पत्र में दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता को अभिकथित रूप से भुगतान किया गया है, क्योंकि यह अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के मूलधन के अनुरूप नहीं है, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। सारणीकरण का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

> "7839 दिन0 4.7.2011 के क्रम में पीसीएफ द्वारा चेक सं 647764 दि0 19.07.11 द्वारा किया गया।

51 - रिट याचिका (एस/एस) सं। 374 /2021 , ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य, याचिकाकर्ता ने यह मामला उठाया है कि उन्हें प्रतिवादी संख्या. 2 के साथ नियुक्त किया गया था, उनके दिनांक 12. 12. 1985 के नियुक्ति पत्र के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप, वह 25 जनवरी, 1986 को एक शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में अपनी सेवाओं में शामिल हुए और उन्होंने उक्त क्षमता में तब तक काम किया जब तक कि उनकी सेवाओं को 01. 01. 2005 को उत्तराखंड सहकारी संघ में विलय नहीं कर दिया गया, और उन्होंने सहकारी दवा कारखाने रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में शिफ्ट ऑपरेटर के रूप

में काम किया, उक्त क्षमता में प्रतिवादीओं के साथ काम करते हुए, उन्होंने 31 जुलाई, 2015 को अपनी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी।

52- याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह मामला उठाया है कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर, जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, उन्होंने अपने पत्र सं। 1122- 26/ पी. सी. एफ. / 2015- 15 दिनांक 29 जुलाई, 2015 के साथ- साथ 27 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या 3446- 50/ पी. सी. एफ. / 2015- 16 ने पहले ही 11 वर्षों की सेवाओं की अवधि के लिए उपदान राशि को मंजूरी दे दी थी। 3,15,785/ - और 120 दिनों के लिए अर्जित छुट्टी रु। 1,99,040/ - इसका मतलब है कि उत्तराखंड सहकारी संघ ने पहले ही पुनर्गठन अधिनियम की खंड 54 के तहत अपने हिस्से की देनदारी को पहले ही ₹. 5,14,825/ - तक भेज दिया है।वास्तव में, याचिकाकर्ता को उपदान और अर्जित अवकाश की उपरोक्त राशि को मंजूरी देते हुए, उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 27. 02. 2016 को उपरोक्त पत्र को भी संबोधित किया गया था।
U. P. सहकारी संघ, इस प्रकार 19 वर्षों के लिए उपदान की कुल राशि का निर्धारण करता है, जिसका अनुमान रु। 5,45,446/ - और 180 दिनों की अर्जित छुट्टी जो सेवाओं की अवधि के लिए रु. 2,98,560/ - आंकी गई थी, जो याचिकाकर्ता ने 25 तारीख से प्रदान की है। जनवरी, **1986** से **31** जुलाई, **2015** को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक कुल रु. 8,44,006/ - का भुगतान याचिकाकर्ता को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर करने की सिफारिश की गई थी, जिसे उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 21 सितंबर, 2020 को जारी किया गया था। सी. डी. एफ. / ए. सी. डी. एफ. / 2020- 21 दिनांक 21 सितंबर, 2020।

53- याचिकाकर्ता ने आगे यह मामला उठाया है कि U. P. सहकारी संघ ने 21 जून, 2016 को चेक संख्या द्वारा से सेवानिवृत्ति लाभ का केवल एक हिस्सा प्रेषित किया था। 20 दिसंबर, 2016 को कुल 48906 करोड़ रुपये था। 1,97,228/ - लेकिन उनके द्वारा राशि का कथित प्रेषण अंतिम वेतन पर आधारित नहीं था, और इसलिए, याचिकाकर्ता ने 5 अक्टूबर, 2017 को एक

अभ्यावेदन दायर किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 28 जून, 2021 के फैसले के अनुसार समान व्यवहार किया जाना चाहिए था, जो इस न्यायालय द्वारा लिखित याचिका संख्या में दिया गया था। **3305 / 2017** का**,** लेकिन जब दावा किए जाने के बावजूद कुल राशि का भुगतान नहीं किया गया था, याचिकाकर्ता की अपेक्षा के अनुसार, उन्होंने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी, जिसे प्रतिवादीओं द्वारा एक जवाबी शपथ पत्र दायर करके चुनौती दी गई है, और विशेष अभिवेदन से, जवाबी शपथ पत्र, जिसे प्रतिवादी संख्या 3305 द्वारा दायर किया गया था। 3 और 4, उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर ऊपर विस्तृत सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण से संबंधित अपने रुख को दोहराया है।लेकिन, अब तक U. P. सहकारी संघ के रूप में संबंधित है, उन्होंने भी 9 अगस्त 2012 को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 48,59 और 60 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार हुए समझौता ज्ञापन का संदर्भ देते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता का नाम समझौता ज्ञापन में शामिल कर्मचारियों की सूची में पाया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम S. No पर था, लेकिन फिर भी चूंकि राशि प्रेषित नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को यह तर्क देते हुए प्राथमिकता दी है कि वह उस राशि का हकदार होगा जिसकी सिफारिश उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा की गई थी। 21 सितंबर, 2020 को उनके पक्ष में जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 27.02.2016 का पत्र।

54- इस रिट याचिका में भी सुनवाई के दौरान, U. P. सहकारी संघ ने इस प्रकार 3 नवंबर, 2021 को प्रदान की गई सारणी में एक बार फिर राशि का प्रेषण न करने का कारण बताया है, जैसा कि उक्त सारणी पत्र के अंतिम कॉलम में दिया गया है, जो आधार के रूप में यहां निकाला गया है, रु 2. 27 करोड़ कि राशि इस कारण से प्रेषित नहीं की जा सकती है कि। याचिकाकर्ता को किसी भी सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान करने से पहले अभी भी दो सहकारी संघों के बीच समायोजित किया जाना है। सारणीकरण का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:-

"908 दि0 21.06.16 द्वारा पीसीएफ द्वारा देय धनाराशि रू0 2.27 करोड़ से समायोजित कर के भुगतान यूसीएफ द्वारा किया गया है।

55- रिट याचिका (एस/एस) सं 389 /2021, गणेश प्रसाद बनाम U.P. राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य, वास्तव में, यह मुकदमेबाजी का दूसरा चरण है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण के लिए उत्तेजित किया गया थ । उन्होंने इस तथ्य का खुलासा किया था कि इससे पहले उन्होंने रिट याचिका नं. 457/ 2012 , जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 24 मार्च, 2017 के अपने फैसले के माध्यम से निपटाया था ।इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:- . . . . "याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मौजूदा याचिका इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका सं. राजेंद्र सिंह बनाम U. P. के मामले में 738 / 2014 राज्य सहकारी संघ और अन्य, और अन्य समान याचिकाओं पर 25. 02. 2015 को निर्णय लिया गया । तदनुसार, आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी के मामले पर विचार करने के निर्देश के साथ मौजूदा याचिकाओं का निपटारा किया जाता है ।"

56- संक्षिप्त तथ्य, जो याचिकाकर्ता ने मुकदमेबाजी के दोनों चरणों में इस न्यायालय के समक्ष लगातार उठाए हैं, यह है कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क देना है कि उन्हें U. P. सहकारी संघ के साथ इलेक्ट्रीशियन ग्रेड- II के रूप में नियुक्त किया गया था । 15 जून, 1987 को वापस, और इस प्रकार उन्हें सोया बीन इवम वनस्पति इंडस्ट्रीज, हल्दूचौड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में तैनात किया गया था, जब तक कि उनकी सेवाओं का उत्तराखंड सहकारी संघ, W. E. F. में विलय नहीं हो गया । 01. 01. 2005. उन्होंने तर्क देना कि उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ संतोषजनक रूप से काम करने के बाद, उन्होंने 31 जनवरी, 2011 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली थी, और शिफ्ट ऑपरेटर के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, और याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अनुरूप उनकी सेवाओं के विलय के बाद, उन्हें 29 जनवरी, 2011 को उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन को प्रमाणित करता है, जिसके आधार पर, उत्तराखंड सहकारी संघ ने अपने पत्र संख्या 1 के माध्यम से उपदान और अर्जित अवकाश राशि निर्धारित की है । 5774- 79/ यू. सी. एफ. / 2010- 11 दिनांक 3 फरवरी, 2011, जिसके

तहत छह साल की सेवाओं के लिए उपदान राशि के रूप में रु. 74, 807/ - का भुगतान किया गया था और उसी पत्राचार द्वारा, 74 दिनों की अर्जित छुट्टी, रु। 53, 634/ - उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा प्रेषित किया गया था।**15** जून, **1987** से **31** दिसंबर, 2004 तक की सेवाओं की शेष अवधि के लिए, उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा गणना की गई थी, उनके पत्र सं. 5774 दिनांक 3 फरवरी, 2011 से U. P. कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने U. P. सहकारी संघ की सिफारिश की थी। 18 वर्षों के लिए उपदान राशि के प्रेषण के लिए, जिसका अनुमान रु। 2,24,661/ - और 212 दिनों के लिए अर्जित अवकाश, रु। 1,53,601/ - कुल रु। 3,78,262/ - ।

57- याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि U. P. सहकारी संघ, अपने कार्यालय पत्राचार सं। दिनांक 3 मार्च, 2011 को 6488/ 93- यू. सी. एफ. / 2010- 11 ने 30 दिनों के लिए रु. 21,634/ - के अर्जित अवकाश को मंजूरी दी थी, लेकिन शेष उपदान राशि और 183 दिनों के लिए अर्जित अवकाश राशि अभी तक जमा नहीं की गई थी और न ही यह अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित किया गया था जो 29 जनवरी, 2011 को उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि यू. पी. सहकारी संघ ने अपने पत्र सं। पी. सी. एफ. / लेखा/ 2011- 11/ 6930 दिनांक 28 दिसंबर, 2011 को उपदान राशि का आकलन किया गया है। 76, 358/ - और अर्जित अवकाश राशि रु। 44, 853/ - और 5 वें वेतन आयोग की अवशिष्ट राशि रु. 16,429/ - लेकिन उपरोक्त विवरण के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों के ये आकलन अभिकथित रूप से 29 जनवरी, 2011 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर आधारित नहीं हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने 29 जनवरी, 2011 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उन सेवानिवृत्ति अवशिष्ट के प्रेषण के लिए मौजूदा रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसमें प्रतिवादियों ने जवाबी शपथ पत्र दायर किया है, और उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा लिया गया रुख इस आशय का है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति लाभों के अपने दायित्व के हिस्से का निर्वहन किया है, लेकिन अब तक प्रतिवादी संख्या। 1 और 2 का संबंध है,

i. e. U. P. सहकारी संघ, उन्होंने एक बार फिर एक बहुत ही टालमटोल जवाब दिया है, कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए पहले के फैसलों द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर राशि नहीं भेजने के लिए उनके लिए क्या जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया था, जिसकी प्रमाणित माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी।

58- इस मामले में भी, उत्तराखंड सहकारी संघ ने सारणीकरण पत्रक में तर्क के दौरान एक बयान दिया था, जिसे उन्होंने 3 नवंबर, 2021 को प्रदान किया था। 3 अक्टूबर, 2011 को 2276 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। 67, 358/- रुपये, 10000/- के ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को चेक संख्या 228629 दिनांक 23 दिसंबर, 2011 द्वारा से भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि राशि का उक्त प्रेषण इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, न ही यह अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पर आधारित है, जिसे उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 29 जनवरी, 2011 को जारी किया गया था।

59- 2021 की रिट याचिका **434** में, श्रीनिवास कश्यप बनाम **U.P.** स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और अन्य, एक बार फिर, यह रिट याचिका, मुकदमेबाजी का दूसरा चरण है। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस/एस) नं. 2563/ 2017 जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने **2** अप्रैल, **2019** को अपने फैसले के माध्यम से निपटाया था। न्यायालय द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक निर्देश नीचे दिए गए हैंः- . . . "U. P. के लिए उपस्थित विद्वान वकील। सहकारी संघ आगे प्रस्तुत करता है कि U. P. राज्य सहकारी संघ ने इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की है।वह निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि उक्त S. L. P में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा रिट याचिकाओं का निपटारा इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा विशेष

अपील सं. 03. 07. 2017 में दिए गए निर्णय के संदर्भ में किया जाता है। 137 / 2015 . "

60- याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया था, तो उन्होंने एक अवमानना याचिका भी दायर की थी, जो अवमानना याचिका नं। 515/ 2019 जिसमें अवमानना याचिका को इस आधार पर बंद कर दिया गया था कि U. P. सहकारी संघ ने 23 सितंबर, 2020 को एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी राशि को मंजूरी दी है। 2,25,894/ - और 206 दिनों की अर्जित छुट्टी रु2,37,333/ - के साथ- साथ रु 30, 000/ - एक तरफ, उन्होंने 23 सितंबर, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से अवमानना में यह रुख अपनाया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने तर्क देना है कि उक्त राशि में से, जिसे 23 सितंबर, 2021 के पत्र द्वारा यू. पी. सहकारी संघ ने के बाद से प्रेषित किया गया था। ग्रेच्युटी के लिए स्वीकृत राशि का केवल 1,24,106 रुपये का भुगतान किया है। अर्जित अवकाश के लिए 77,744/ - और मुआवजे के लिए 12,491/ - । याचिकाकर्ता U. P. द्वारा इस प्रकार प्रेषित राशि से असंतुष्ट था। इसलिए सहकारी संघ ने यह रिट याचिका दायर की है।

61- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्हें 2 अप्रैल, 1985 को नियुक्त किया गया था, जिसमें प्रतिवादीओं को सोया बीन इवम वनस्पति इंडस्ट्रीज, हल्दूचौड़, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में संचालक के रूप में नियुक्त किया गया था, और तब से उत्तराखंड सहकारी संघ W. E. F के साथ उनकी सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप। 01. 01. 2005, पुनर्गठन अधिनियम की खंड 54 के तहत विचार किए गए उनके पेंशन लाभों को अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर संरक्षित किया जाना था जो उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर जारी किया गया था। 31 जुलाई, 2013, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि याचिकाकर्ता को प्रति माह रु. 45,885/ - के साथ प्रेषित किया जा रहा था, जो उसका अंतिम वेतन था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, उन्होंने अपने पत्र नं. दिनांक 6 सितंबर, 2013 को 2315- 20/ यू. सी. एफ. / 2013- 14 ने पहले ही **1.01.2005** से **31** जुलाई, 2013 तक की अवधि के लिए उपदान और अर्जित अवकाश

राशि निर्धारित कर ली थी, जो याचिकाकर्ता को नौ साल की अवधि के लिए कुल रु. 2,17,111/- के रूप में देय थी और 94 दिनों के लिए अर्जित अवकाश, जो रु. 1,31,017/- अर्थात। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा पहले ही कुल रु. 3,48,128/- का भुगतान किया जा चुका है। उत्तराखंड सहकारी संघ ने भी 6 सितंबर, 2013 का अपना पत्राचार U.P.सहकारी संघ को भेज दिया था। यह मत व्यक्त करते हुए कि 2 अप्रैल, 1984 से 31 दिसंबर, 2004 तक की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता 19 वर्षों की अवधि के लिए उपदान राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसकी राशि रु 4,58,346/- और 206 दिनों की अर्जित छुट्टी राशि, रु। 2,87,123, कुल रु. 7,45,469/-, लेकिन 6 सितंबर, 2013 के उपरोक्त संचार के बावजूद, प्रतिवादी U. P. सहकारी संघ, उनके 26 दिसंबर, 2013 के पत्र के अनुसार, पत्र सं0 सोया/ वन/ लेखा/ 2012- 13/ 576 दिनांक 26 दिसंबर, 2013 ने केवल रु. 21,138/- की उपदान राशि को मंजूरी दी थी और रु. केवल 12,756/-, कुल रु। 33, 894/- और इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका परमादेश आदेश जारी करने के लिए प्राथमिकता दी है, कि उसे पेंशन लाभों को प्रेषित किया जा सकता है, जैसा कि उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 6 सितंबर 2013 को दिए गए उनके सारणीकरण में उनके पक्ष में जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सिफारिश की गई थी।

62- रिट याचिका में, U. P. सहकारी संघ ने रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलों पर जवाबी शपथ पत्र के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की है, लेकिन उत्तराखंड सहकारी संघ ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है और 6 सितंबर, 2013 के संचार से संबंधित अपने दलील को दोहराया है और परिणामी राशि जो उनके द्वारा याचिकाकर्ता को पहले ही प्रेषित की जा चुकी थी।हालाँकि, सुनवाई के दौरान, U. P. सहकारी संघ ने 3 नवंबर, 2021 के सारणीकरण में कहा था कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुपालन में, पी. सी. एफ. मुख्यालय ने पत्र सं. 747 दिनांक 4 जून, 2014 और पत्र सं। 1873 दिनांक 23 सितंबर, 2020, जिसके तहत यह तर्क देना गया था कि रु।₹. 3,000/- के जुर्माने के साथ याचिकाकर्ता को 2,25,894/- रुपये भेजे गए हैं, लेकिन फिर भी, इस प्रकार भुगतान की गई यह राशि अंतिम वेतन के आधार पर

याचिकाकर्ता की वास्तविक पात्रता के अनुसार नहीं थी।U. P. सहकारी संघ, द्वारा प्रदान किए गए सारणीकरण में किया गया अवलोकन। यहाँ नीचे निकाला गया है:-

रू0 1.24.106 एंव मा0 न्यायालय के क्रम में में अन्तर धनराशि रू 2.25.984 एंव कम्पनशेसन रू 3000 भुगतान किया गया।	747 दि0 4.6.14 एंव 2873 दि0 23.9.20 2020 के क्रम में पीसीएफ मुख्यालय द्वारा किया गया।

63- रिट याचिकाकर्ता (एस/एस) सं. **485/2021** , आशुतोष श्रीवास्तव बनाम **U.P.** स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और अन्य, फिर से मुकदमेबाजी का दूसरा चरण है।वास्तव में, उनके दिवंगत पिता ने पहले रिट याचिका नं. 354 / 2009 जिसमें उनके दिवंगत पिता ने सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए प्रार्थना की है, उपदान और अर्जित अवकाश नकदीकरण, जिसमें उन्होंने तर्क देना कि अन्यथा वह U. P. सहकारी संघ के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कारण प्राप्त करने के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा 12 नवंबर, 2009 के फैसले द्वारा निम्नलिखित निर्देश के साथ किया गया थाः पीठ ने कहा, "इसलिए इन रिट याचिकाओं की अनुमति है।यू. पी. एस. सी. एफ. को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को 31. 12. 2004 तक यू. पी. एस. सी. एफ. की सेवा की अवधि के लिए ग्रेच्युटी, छुट्टी भुनाने, वेतन के अवशिष्ट का भुगतान इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति यू. पी. एस. सी. एफ. के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करें। जहां तक ब्याज का संबंध है, इसे इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और 6%के ब्याज के बजाय रु। 10, 000/ - का भुगतान किया जा चुका है।इसलिए, यह आगे निर्देश दिया जाता है कि यूपीएससीएफ रुपये की ब्याज राशि का भुगतान करेगा। प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10,000/ - ।

इन रिट याचिकाओं पर तदनुसार निर्णय लिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।"

64- 12 नवंबर, 2009 के फैसले से व्यथित होकर, U. P. सहकारी संघ ने एक विशेष अपील को प्राथमिकता दी है, जो विशेष अपील सं। **229/2009** जिसे खण्ड पीठ द्वारा 14 मई, 2010 के अपने फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।विशेष अपील को खारिज करने के परिणामस्वरूप, U. P. सहकारी संघ द्वारा कहा जाता है क एक पत्र जारी किया है, जो पत्र सं पी. सी. एफ. / लेखा/ मुख्यालय/ 2010- 11 दिनांक 13 अक्टूबर, 2010, जहाँ यू. पी. सहकारी संघ ने एक राशि का भुगतान करने का दावा किया है रु. 2,38,375/ - इसके चेक नं. 2793 दिनांक 4 अक्टूबर, 2010। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उक्त राशि, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह U. P सहकारी संघ द्वारा प्रेषित की गई थी, 13 अक्टूबर, 2010 के अपने पत्र के अनुसार, 31 जुलाई, 2008 को उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान के लिए निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता द्वारा लिए गए वेतन को रु. 222,086/ - के रूप में प्रमाणित किया गया है, और इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा यू. पी. सहकारी संघ को जारी किए गए संचार के आधार पर राशि के भुगतान का हकदार होगा। ने अपने पत्र सं। सोया/ वन/ लेखा/ 2010- 11/ 514 दिनांक 25 अक्टूबर, 2010। जब उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ता ने मौजूदा रिट याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उसके दिवंगत पिता, जिन्हें प्रतिवादी नं. 2 11 जुलाई, 1985 को और 31 जुलाई, 2008 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक प्रतिवादीओं के साथ उक्त क्षमता में काम किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां तक उत्तराखंड सहकारी संघ का संबंध है, उत्तराखंड सहकारी संघ ने अपने पत्र सं. 8212- 16 (यू. सी. एफ.) / स्थापना/ 2008- 09 दिनांक 31 जुलाई, 2008 और इसके परिणामस्वरूप, उत्तराखंड सहकारी संघ ने 4 वर्षों की सेवाओं के लिए 4 करोड़ रुपये की उपदान राशि प्रेषित की है। 38, 418/ - और 104 दिनों के लिए अर्जित अवकाश राशि जो कुल मिलाकर रु. 96,686/ - है।

65- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि जिस समय उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता को उक्त राशि भेजी जा रही थी, उस समय उक्त पत्राचार पहले ही U. P. सहकारी संघ को भेज दिया गया था।, 11 जुलाई, 1985 से 31 दिसंबर, 2004 की अवधि के लिए अपने दायित्व का निपटान करता है, जिसमें 31 जुलाई, 2008 के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर एक निर्धारण किया गया था, जिसमें 19 वर्षों की सेवाओं के लिए ₹. 1,82,488/ - के रूप में उपदान राशि का भुगतान करने का आकलन किया गया था और 184 दिनों के लिए अर्जित अवकाश, जिसकी राशि रु। 1,03,089/ - कुल रु। 2,85,577/ - , जब इसे आज तक प्रेषित नहीं किया गया है, तो याचिकाकर्ता ने मौजूदा रिट याचिका दायर की है।

66- इस रिट याचिका में, प्रतिवादी सं। 1 और 2, i. e. U. P. सहकारी संघ ने 13 अप्रैल, 2021 को एक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है, लेकिन फिर भी, उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा याचिकाकर्ता की पात्रता निर्धारित करने के लिए किए गए पत्राचार के लिए उनके द्वारा किए गए विशिष्ट इनकार के बिना एक बहुत ही अस्पष्ट जवाब दिया गया है। इतना भी नहीं, 13 नवंबर, 2010 के सारणीकरण में, प्रतिवादीओं ने देखा था कि रु। उनके द्वारा उनके पत्र संख्या 1,15,459/ - द्वारा से प्रेषित किया गया है। 2631 दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को चेक सं. 002793 दिनांक 4 अक्टूबर 2010, लेकिन फिर भी, यदि उक्त राशि, जिसे प्रेषित किया गया दिखाया गया है, को उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा 31 जुलाई 2008 को किए गए संचार के आलोक में ध्यान में रखा जाता है, जिसमें उपदान और छुट्टी नकदीकरण की शेष राशि का निर्धारण किया गया था, जो याचिकाकर्ता के दिवंगत पिता को सेवानिवृत्ति लाभों की वास्तविक पात्रता के अनुरूप नहीं है, इसलिए मौजूदा रिट याचिका।

67- 2020 की रिट याचिका **1828,** नरेंद्र सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य में, यह रिट याचिका भी दूसरी रिट याचिका है। याचिकाकर्ता जिसे प्रतिवादी के साथ U. P. के जिला कार्यालय में मुनिम के रूप में

नियुक्त किया गया, सहकारी संघ मुजफ्फरनगर , उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही उनकी सेवाओं का निर्वहन कर रहा था।

W. E. F. 04 04. 1973, और चूंकि सेवानिवृत्ति लाभों को प्रेषित नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने पहले एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी थी, जिसे 8 जुलाई 2010 के फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद, राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को एक अवमानना याचिका को प्राथमिकता देनी पड़ी, जो 2011 की अवमानना याचिका 125 थी, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 21 मई, 2011 को नोटिस जारी किए गए थे और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नं. 3 रिट याचिका यानी I. e. U. P. सहकारी फेडरेशन ने रु. 1,46,227/ - की उपदान राशि का भुगतान किया था और रु. 21 जून, 2011 के आदेश द्वारा 39,039/ - ।

68- याचिकाकर्ता ने तर्क देना है कि अवमानना याचिका दायर करने के बाद और उस पर नोटिस जारी करने पर राशि के प्रेषण का यह उपरोक्त अभिकथित अनुपालन, वास्तविक पात्रता को संतुष्ट नहीं करता है, जिसका उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा देय होने का आकलन किया गया था, क्योंकि वह अपनी सेवाओं के विलय के बाद कनिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 30 जून, 2008 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे, इसलिए, 6 नवंबर, 2004 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, उनके सेवानिवृत्ति लाभों को पुनर्गठन अधिनियम की खंड 54 के तहत संरक्षित किया गया था, और इसलिए, प्रतिवादी सं. 1 और 2 ने 10 जुलाई, 2008 के अपने पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या को लिखा था। 3 और 4, i. e. U. P. 0404. 1973 से 1 अक्टूबर, 2002 तक की अवधि के लिए लाभ के प्रेषण के लिए सहकारी संघ, लेकिन उसे प्रेषित नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने मौजूदा रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, जिसमें तर्क देना गया है कि याचिकाकर्ता का दावा 2014 की रिट याचिका **738** में दिए गए पहले के फैसलों द्वारा पूरी पूरी तरह से समावेषित किया जाएगा, जिसे 25 फरवरी, 2015 को समकक्ष पीठ द्वारा निपटाया गया था, जिसमें समकक्ष पीठ ने विशेष रूप से निर्धारित किया है कि उपदान राशि और अर्जित अवकाश का प्रेषण U. P. सहकारी संघ द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सहकारी संघ और समकक्ष

पीठ द्वारा 25 फरवरी, 2015 के अपने फैसले के माध्यम से जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सहकारी संघ ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को ₹. 3,000/ - का मुआवजा दिया था। 738/ 2014 ।

69- 25 फरवरी, 2015 के विद्वत एकल न्यायाधीश के उक्त फैसले के खिलाफ व्यथित, U. P. सहकारी संघ ने विशेष अपील सं. 137/ 2015 , जिसे इस न्यायालय की खण्ड पीठ 3 जुलाई, 2017 के अपने फैसले के माध्यम से और बाद में उनकी एसएलपी पर भी खारिज कर दिया था, को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 मार्च, 2020 के अपने फैसले के माध्यम से यह जानकारी दी ।इसलिए, याचिकाकर्ता ने तर्क देना कि उपरोक्त निर्णयों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को देखते हुए, वह सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण का हकदार होगा, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा 13 में विस्तृत किया गया है, जिसे यहां निकाला गया हैः-

U. P. P. C. F. 04- 04- 1973 से 01- 10- 2002 तक

	देय	ड्रा/ भुगतान किया गया	संतुलन
ग्रैच्युटी (25 वर्ष)	रु. 3,50,978/ -	रु. 1,46,227/ -	रु. 2,04,751/ -
छुट्टी अर्जित करें	रु. 94,908/ -	रु. 39,039/ -	रु. 55, 869/ -

70- इस सर्वोच्च न्यायालय के लिए रिट याचिकाओं के इन समूह में प्रत्येक विशिष्ट मामले से निपटने की आवश्यकता इस कारण से अपरिहार्य हो गई कि, तथ्यात्मक रूप से, और बाद के विकास के कारण, जो इस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या में दिए गए निर्णयों के बाद हुआ था। **448/2018** का चंद्र मोहन अरोड़ा बनाम उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड और अन्य, जैसा कि 29 नवंबर, 2019 को निर्णय लिया गया था और विशेष अपील सं. **137 / 2015** जैसा कि 3 जुलाई, 2017 को निर्णय लिया गया था, और एस. एल.

पी. (सी) सं. 5914 / 2020 , जैसा कि 27 अगस्त, 2020 को तय किया गया था, और उसके बाद, निर्विवाद तथ्यों और कानून का पालन करते हुए इस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में दिए गए निर्णय, जो विचार के लिए उभरते हैं, वे थे कि ऊपर निर्दिष्ट इन निर्णयों के सिद्धांतों को प्रत्येक याचिकाकर्ता के मामले में उनके सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण के उद्देश्यों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा, जो अन्यथा पुनर्गठन अधिनियम की खंड 54 द्वारा संरक्षित है, जो इसके तहत निकाला गया है:- "54. पेंशन। पेंशन के संबंध में वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का दायित्व इस अधिनियम की आठवीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के उत्तराधिकारी राज्यों को दिया जाएगा या उनके बीच विभाजित किया जाएगा।

71. पुनर्गठन अधिनियम, 2020 की धारा 54 के निहितार्थ को पुनर्गठन अधिनियम के भाग VIII की खंड धारा के तहत निहित प्रावधानों के साथ पढ़ना पड़ा है, जिसमें इसके पहले परंतुक में यह प्रावधान किया गया था कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, राज्य या क़ानून के तहत बनाए गए निगमों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को, उनकी सेवाओं के विलय पर, उनकी सेवा शर्तों को उनके हित के लिए नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है और उन्हें एक नुकसान की स्थिति में नहीं रखा जा सकता है, जिसे वे अन्यथा प्राप्त करने के हकदार होते, अगर राज्य को राजनीतिक और विधायी कारणों से विभाजित नहीं किया जाता और क्योंकि उनका हित वैधानिक रूप से संरक्षित होता, तो वे पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 के तहत कानूनी रूप से प्रदान किए गए संरक्षण के तहत सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के हकदार होते। 72. उपरोक्त जांच के आधार पर, निम्नलिखित तथ्य विचार के लिए सामने आते हैं:-

i. उपरोक्त सभी रिट याचिकाओं स्वीकृत रूप से तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं या कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्तियों को शुरू में U. P. सहकारी संघ की सेवाओं में शामिल किया गया था।

ii. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 9 नवंबर, 2000 से उत्तराखंड राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप, उत्तराखंड राज्य के लिए एक स्वतंत्र सहकारी संघ 01. 01. 2005 से अस्तित्व में आया और उन कर्मचारियों की सेवाएं, जो उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य के दो सहकारी संघों के सचिवों के बीच हुए समझौता ज्ञापन में सूचीबद्ध थे। 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी उत्तराखंड सहकारी संघ।

iii. रिट याचिकाओं के पक्षकारों का यह एक स्वीकृत मामला है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा का कार्यकाल संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद अपनी- अपनी सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति की संबंधित आयु प्राप्त कर ली है, जैसा कि ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है, जो पात्रता के अनुसार, संघों पर लागू प्रासंगिक सेवा नियम के तहत, वे ग्रेच्युटी राशि, साथ ही छुट्टी नकदीकरण राशि और साथ ही वेतन आयोग के लाभ के अवशिष्ट आदि प्राप्त करने के हकदार थे।

iv. रिट याचिकाओं के सभी पक्षों का यह एक स्वीकृत मामला है कि उत्तराखंड सहकारी संघ से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, उत्तराखंड सहकारी संघ ने उनके पक्ष में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी किया था, जिस पर किसी भी स्तर पर विवाद नहीं हुआ था।U. P. सहकारी संघ, जिसे उनके सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए एक आधार के रूप में लिया जाना था, सिद्धांतों के अनुसार, जो निर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था जैसा कि रिट याचिका संख्या **738 2014** राजेंद्र सिंह और अन्य ने **25** फरवरी**, 2015** में दिया गया था**,** जिसे विशेष अपील सं. 137/ 2015 और एस**.** एल**.** पी**.** भी जो **2** मार्च, 2020 को खारिज कर दिया गया था, जिसका अर्थ है, अंततः, सभी मामलों में, सेवा के किसी भी कार्यकाल के लिए, चाहे वह यू. पी. सहकारी संघ के साथ प्रदान किया गया हो। या उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ सेवाओं के विलय के बाद, उपदान, अर्जित अवकाश और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण अनिवार्य रूप से निर्विवाद अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना आवश्यक था जो सेवानिवृत्त लोगों के पक्ष में जारी किए गए थे। कर्मचारी, i. e. रिट याचिकाओं के इन समूह के याचिकाकर्ता।

v. यह आगे एक स्वीकृत मामला है और जैसा कि उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा दायर किए गए संबंधित जवाबी हलफनामों से भी स्पष्ट होगा। U. P. सहकारी संघ, कि जहाँ तक उत्तराखंड सहकारी संघ में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई संबंधित सेवाओं के कार्यकाल का संबंध है, याचिकाकर्ता उपदान और छुट्टी नकदीकरण की राशि के प्रेषण के संबंध में विवाद में नहीं हैं, क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा देय और भुगतान किया जाएगा।

vi. यह आगे विवाद में नहीं है और अभिलेखों से स्पष्ट है, जिनका उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा समान रूप से पालन किया गया है, कि जब उन्होंने याचिकाकर्ताओं की उपदान और अर्जित अवकाश नकदीकरण प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित कुल वित्तीय निहितार्थ निर्धारित किए थे, और अपने शेयरों का भुगतान करते समय, उत्तराखंड सहकारी संघ ने भी U. P. सहकारी संघ को एक साथ सिफारिश की है। प्रत्येक सेवानिवृत्त याचिकाकर्ता के संबंध में, उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा की गई राशि के निर्धारण के बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए, U. P. सहकारी संघ के साथ उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से भुगतान करने के लिए, उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ अपनी सेवाओं के विलय की अपनी-अपनी तारीख तक।

vii. यह आगे विवाद में नहीं है और बल्कि अब तक इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा लिए गए निर्णय से यह भी तय हो गया है कि एक कर्मचारी की कुल पात्रता U. P. सहकारी संघ उपदान, अर्जित अवकाश और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उन्हें देय राशि का संघ, जिसे तत्कालीन U. P. के साथ प्रदान की गई सेवाओं के कार्यकाल के आधार पर आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाना था। और उत्तराखंड सहकारी संघ और दोनों राज्यों के संबंधित सहकारी संघ के साथ प्रदान की गई सेवाओं के कार्यकाल के संबंध में, उनके साथ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के कार्यकाल के आधार पर दायित्व का अपना हिस्सा वहन करना होगा।

viii. यह विवाद में नहीं है और बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी तय हो गया है कि प्रदान की गई सेवाओं के किसी भी कार्यकाल के लिए, या तो उत्तराखंड सहकारी संघ में या U. P. सहकारी संघ में।, सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण, एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु पर उसके पक्ष में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना था। सहकारी संघ, किसी कर्मचारी द्वारा अंतिम वेतन प्राप्त प्रमाण पत्र नहीं ले सकता है क्योंकि यह उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ उसकी सेवाओं के विलय की तारीख पर मौजूद था, जो उत्तराखंड सहकारी संघ के साथ उनके कर्मचारियों द्वारा सेवाओं के विलय से पहले प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए उपदान और अर्जित अवकाश नकदीकरण निर्धारित करने का पैमाना है।

73- इस न्यायालय के लिए संबंधित मामलों और याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक के संबंध में इस पहलू से निपटने की आवश्यकता इसलिए आवश्यक हो गई क्योंकि वे दशकों से एक साथ एक सुसंगत मुकदमा होने के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि विवाद अब किसी भी न्यायालय के समक्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, फिर भी U. P. सहकारी संघ के समक्ष अनिर्णीत नहीं था। ने अपने विवेक और सनक के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वास्तविक अधिकार के साथ उचित रूप से पारिश्रमिक नहीं दिया था।

उपदान की राशि और अर्जित अवकाश नकदीकरण, इसलिए विवाद निम्नलिखित दृष्टिकोणों से उत्पन्न हुआः-

a) U. P. सहकारी संघ के बाद से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सेवानिवृत्ति राशि का भुगतान नहीं कर रहा था, जो उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी किया गया था, याचिकाकर्ताओं ने उनकी सेवानिवृत्ति की आयु की प्राप्ति पर अनिवार्य रिट की मांग की है, कि प्रतिवादी, U. P. सहकारी संघ को यू. पी. के साथ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए भी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार परमादेश आदेश और अर्जित अवकाश नकदीकरण और उन्हें देय अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि निर्धारण का निर्देश दिया जा सकता है जब यह नहीं किया जा रहा था, U. P. सहकारी संघ द्वारा इसलिए रिट याचिकाएँ।

b) विवाद तब पैदा हुआ जब U. P. सहकारी संघ जैसा कि उसने पहले ही चर्चा की है, तथ्यात्मक विवरण के अनुसार, ने आंशिक रूप से राशि का भुगतान किया था और आंशिक रूप से उन्होंने इस बहाने से राशि भेजने से इनकार कर दिया है कि चूंकि दोनों संघों के बीच देनदारियों का समझौता ज्ञापन के आधार पर किया जाना बाकी है, और 2. 27 करोड़ की शेष राशि का निपटारा किया जाना बाकी है, तो केवल राशि का भुगतान किया जाएगा, वास्तव में, इस मुद्दे पर भी इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा विचार किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी प्रशासनिक परिस्थितियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किसी भी तरह से पीड़ित नहीं किया जा सकता है, भले ही दोनों संघों के बीच उनकी संपत्तियों और देनदारियों के निपटान में कोई विवाद हो, जो विशेष रूप से एक अलग मुद्दा है, लाभ लाभों के लिए, जो अन्यथा कर्मचारियों के पक्ष में संरक्षित हैं, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों के तहत पढ़ा जाए।

c) यह मुद्दा पहले भी दलील का विषय था और था कि 1 जनवरी, 2005 से उनकी सेवाओं के विलय के परिणामस्वरूप, जिन कर्मचारियों की सेवाओं का इस प्रकार विलय हो गया था, उनकी नियुक्ति की संबंधित तिथि से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक सेवाओं की निरंतरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जब बीच की अवधि के दौरान राजनीतिक और विधायी निर्णयों के कारण याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को दो संघों में विभाजित कर दिया गया है, क्या इसे सेवानिवृत्ति लाभों के निपटारे के उद्देश्यों के लिए निरंतरता में सेवा माना जाएगा।

74- उपरोक्त विवाद के कारण, जो एक सामान्य बोलचाल के तहत और विशेष रूप से, धारा 54 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर उठाया गया है, जिसे पुनर्गठन अधिनियम की धारा74 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाना है, इस न्यायालय का विचार है कि उत्तराखंड सहकारी संघ के निर्माण के परिणामस्वरूप, पुनर्गठन अधिनियम के विधायी निहितार्थ के कारण, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों की सेवाओं को यू. पी. के साथ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की उनकी संबंधित तिथि से निरंतरता में एक सेवा माना जाएगा। सहकारी संघ और उसके बाद के

विलय या उत्तराखंड सहकारी संघ से उनकी बाद की सेवानिवृत्ति, तार्किक रूप से भी इसे कर्मचारियों के संबंधित सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण या गणना के उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा में एक त्वरित या विराम के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इसे धारा 74 के प्रावधान के साथ- साथ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 के तहत संरक्षित किया गया है। इसलिए U. P. । सहकारी संघ में शामिल होने की तारीख से सेवाओं की उक्त अवधि, उत्तराखंड सहकारी संघ से उनकी सेवाओं के विलय के बाद संबंधित सेवानिवृत्ति की तारीख तक, कर्मचारियों को सभी सेवा लाभों के अनुदान के लिए निरंतरता में एक समान सेवा के रूप में माना जाएगा, जो वे अन्यथा कानून के अनुसार हकदार होते। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप संघ का गठन नहीं किया गया था।

75- वह तर्क जिसे U. P. सहकारी संघ द्वारा बढ़ाया गया था।, कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु की प्राप्ति की संबंधित तिथि पर उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस दायित्व का उपयोग उन पर नहीं किया जा सकता है और वे केवल सेवाओं के विलय की तारीख पर संबंधित कर्मचारियों द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर सेवानिवृत्त लाभों को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, एक तर्क है जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह मुद्दा इस न्यायालय की खण्ड पीठ के 3 जुलाई, 2017 के फैसले से पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2 मार्च, 2020 को प्रमाणित गई थी।

76- इसलिए, इस न्यायालय का भी विचार है कि U. K सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र।, जो सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की नींव है, वास्तव में, यह एक थोपी गई परिस्थितियाँ थीं, जो राज्य के निर्माण के कारण प्रकृति में विशिष्ट थीं। जहाँ तक एक राज्य बनाने या U. P. सहकारी संघ राज्य के दो संघों को विभाजित करने के निर्णय की बात है। और उत्तराखंड राज्य का संबंध है, वास्तव में, कर्मचारियों का इसमें कोई योगदान नहीं था, और उस स्थिति में, संचयी लाभ, जो एक कर्मचारी को प्राप्त होते, यदि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप संघों को विभाजित नहीं किया गया होता, तो याचिकाकर्ता अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण का हकदार होता, जो उनके संबंधित सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख को उनके पक्ष में जारी किए गए थे।यह सादृश्य अधिनियम की धारा74 के प्रावधान के तहत संरक्षित है, जिसे इसके प्रावधान के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

77- उपरोक्त कारणों परमादेश आदेश याचिकाओं के इन सभी समूह को U. P. राज्य सहकारी संघ के लिए अनुमति दी गई है।, चूंकि इस बात से संबंधित कोई विवाद नहीं है कि उत्तराखंड सहकारी संघ ने पहले ही राशि भेज दी है, उनके द्वारा जारी किए गए अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर, उत्तराखंड सहकारी संघ के लिए कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक U. P. सहकारी संघ की बात है। सहकारी संघ का संबंध है, एक निम्न लिखित परमादेश आदेश किया गया हैः

1- वह U. P. सहकारी संघ, उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ के साथ संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए उपदान अधिनियम की धारा 7 (3 ए) के तहत रोकी गई राशि पर देय उपदान, अर्जित अवकाश और ब्याज के अवशिष्ट का निर्धारण करना सुनिश्चित करेगा ।एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों सहकारी संघों अपने में से विवाद, समझौता ज्ञापन की शर्तों पर आधारित है, जिसे कभी- कभी U. P. सहकारी संघ द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में दर्शाया गया है, इस न्यायालय का विचार है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संबंधित आयु को देखते हुए, उनके निपटान की शर्तें सेवानिवृत्ति लाभों के प्रेषण में कोई बाधा पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि इन सभी मुद्दा को ऊपर उल्लिखित खण्ड पीठ के निर्णयों द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया है। उस बहाने पर कोई भी लापरवाही भी कर्तव्य न निभाना होगी।

2- इसलिए U. P. सहकारी संघ को एतद्द्वारा धारा 7 (3 ए) के तहत उस पर देय वैधानिक ब्याज के साथ उपदान, अर्जित अवकाश और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है और यू. पी. के साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अवधि के लिए खण्ड पीठ द्वारा तय की गई दर पर। उत्तराखंड सहकारी संघ और U. P. सहकारी संघ द्वारा जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर सहकारी संघ को इस फैसले की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर राशि भेजने का निर्देश दिया जाता है।

3- U. P. सहकारी संघ को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह निर्णय देने की तारीख से एक महीने के भीतर निर्णय के अनुपालन की रिपोर्ट वापस करे।

4- एहतियात के एक उपाय के रूप में, यह देखा गया है कि यदि कोई राशि पहले ही U. P. सहकारी संघ द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी याचिकाकर्ता के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनके संबंधित अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर अंतिम भुगतान करते समय उसी के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

78- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाएँ U. P. सहकारी संघ के विरूद्ध नितारित की जाती है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

28. 01. 2022

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

शिव